सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

खण्ड-I

2022-2023

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

वित्त लेखा

खण्ड-I

2022-23

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त और विनियोग लेखे माननीय राष्ट्रपति महोदय को संसद के पटल पर रखवाने हेतु भेजे जा रहे हैं।

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एवं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के माननीय उप राज्यपाल महोदय को भी भेजे जा रहे हैं।

विषय सूची

		पृष्ठ
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	**(v-vii)**
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका …. …. …. …. ….. ….. …. …. ….	**(ix-xv)**
	खण्ड-I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण…. …. …. …. …. …. …. …..	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण …. …. …. …. …. …. …. …..	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश …. …. …… ….. ….	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि) …. …. …. …. …. …. ….	10-13
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) प्रकार्य के अनुसार व्यय …. …. …. …. …. …. …. ….	14-17
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय…. …. …. …. …. …. …. …. ….	18-19
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण …. …. …. …. …. …. …. …. ….	20-32
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण …. …. …. …. …. …. ….	33-38
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण …. …. …. …. ….	39-46
8	सरकार के निवेशों का विवरण …. …. …. …. …. …. …. ….	47
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण …. …. …. …	48
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण …. …. ….	49
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण …. …. …. …. …. ….	50-51
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोतों तथा निधियों के अनुप्रयोग का विवरण	52-58
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश ….	59-61
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ …. …. …. …. …. …. ….	62-78

विषय सूची (जारी)

खण्ड-II

		पृष्ठ
	भाग-I	
14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	80-109
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	110-158
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	159-243
17	उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	244-258
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	259-286
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	287-311
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण....	312-319
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	320-338
22	चिह्नित शेषों के निवेशों का विस्तृत विवरण	339-342
	भाग-II	
	परिशिष्ट-	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	344-350
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय	351
III	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता अनुदान/ सहायता (संस्थान-वार और योजना-वार)	352-355
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	356-357
V	योजनाओं पर व्यय-	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं)	358-360
	ख. संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं....	361-364

विषय सूची (समापन)

	भाग-II	**पृष्ठ**
	परिशिष्ट- (समापन)	
VI	संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ राज्य क्षेत्र बजट के अतिरिक्त प्राप्त निधियां) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	365-367
VII	शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है)......	368-369
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	370-371
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची	372-375
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय	376-382
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	383
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	384-385
XIII	संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन- वे मदें जिनके लिए संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य/ के बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	386-390

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की सरकार के वित्त लेखे वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और संघ राज्य क्षेत्र के लोक लेखा से/ में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखों का संकलन दो खंडों में निहित हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' सम्मिलित हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश सम्मिलित है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे को, जो की बजट तुलना का प्रदर्शन करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2022-23 हेतु उचित वित्तीय स्थिति और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष के दौरान या पूर्व वर्षों में की गई लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट हैं, जिसको अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें जिससे कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को सम्मिलित किया जाता है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत को आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं को तैयार करने का उत्तरदायित्व

संघ राज्य क्षेत्र सरकार विधानमंडल से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कोषागार, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेन-देन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अतिरिक्त, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) का कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71, की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखे को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्राप्त किए गए वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरणी (संख्या 7, 8, 9, 19 और 20) और परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI और XII) सीधे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किया गया है, जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971, की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) व प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अगल-अगल संवर्गों, पृथक रिपोर्टिंग लाइन एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :

जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त कॉरपोरेशन (जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन) द्वारा लिए गए ₹ 2,297.90 करोड़ और जम्मू एवं कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लिए गए ₹ 21,613.63 करोड़ के ऋण को वार्षिक लेखों में सरकार की देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

[वित्त लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 3 (xv) का संदर्भ]

मामले के महत्व खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरा अभिमत संशोधित नहीं हुआ है।

दिनांक: 28 फरवरी 2024
स्थानः नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखाओं की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखाओं के साथ ही राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों से पूर्वाकलित संघ राज्य क्षेत्र सरकार की देयताओं एवं परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं को विनियोजन लेखाओं के साथ रखा जाता है, जो कि अनुदानों/ विनियोजनों के आलोकन में व्यय की तुलना करते है।

2. संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: समेकित निधि: यह निधि संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) तथा ऋणों के पुनर्भुगतान से संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त की गयी सभी धनराशियों को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) संघ राज्य क्षेत्रकी समेकित निधि (*प्रभारित व्यय*) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग सम्मिलित हैं: राजस्व तथा पूँजीगत (लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुन: 'प्राप्तियाँ' एवं 'व्यय' में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन क्षेत्रकों में विभक्त किया गया है, अर्थात् 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व', तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। ये तीनों क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभक्त होते हैं, जैसे 'वस्तु एवं सेवा कर', 'आय एवं व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएं' इत्यादि। पूँजीगत प्राप्ति अनुभाग में कोई क्षेत्रक अथवा उप-क्षेत्रक नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रकों में विभाजित होता है अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय अनुभाग में ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभक्त हो जाते हैं जैसे 'राज्य के अंग' 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि। पूँजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रकों में उप-विभाजित किया जाता है अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'समाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय निपटारा' तथा 'आकस्मिकता निधि को अंतरण'।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

भाग II: आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत स्थापित किया जाता है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा प्राधिकरण लंबित होता है, उन्हें वहन करने के लिए अग्रिमों की पूर्ति हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा जाता है। निधि को संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके प्रतिपूरित किया जाता है। वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशि, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा होती है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, जिनकी अंतिम बुकिंग लम्बित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छह क्षेत्रक सम्मिलित हैं यथा 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि' इत्यादि, 'आरक्षित निधियाँ', 'जमाएं एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष'। ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधानमण्डल के मत का विषय नहीं है।

3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, यथा मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा वस्तु शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ कार्यकलापों, उप-शीर्ष योजनाओं, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं तथा वस्तु शीर्ष व्यय के अभिप्राय/ उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग प्रतिमान शामिल है (31 मार्च 2023 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):

0005 से 1606	***राजस्व प्राप्तियाँ***
2011 से 3606	***राजस्व व्यय***
4000	***पूँजीगत प्राप्तियाँ***
4046 से 7810	***पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋणों तथा अग्रिमों सहित)***
7999	***आकस्मिकता निधि में विनियोजन***
8000	***आकस्मिकता निधि***
8001 से 8999	**लोक लेखा**

5. लेखे की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखाओं की संरचना

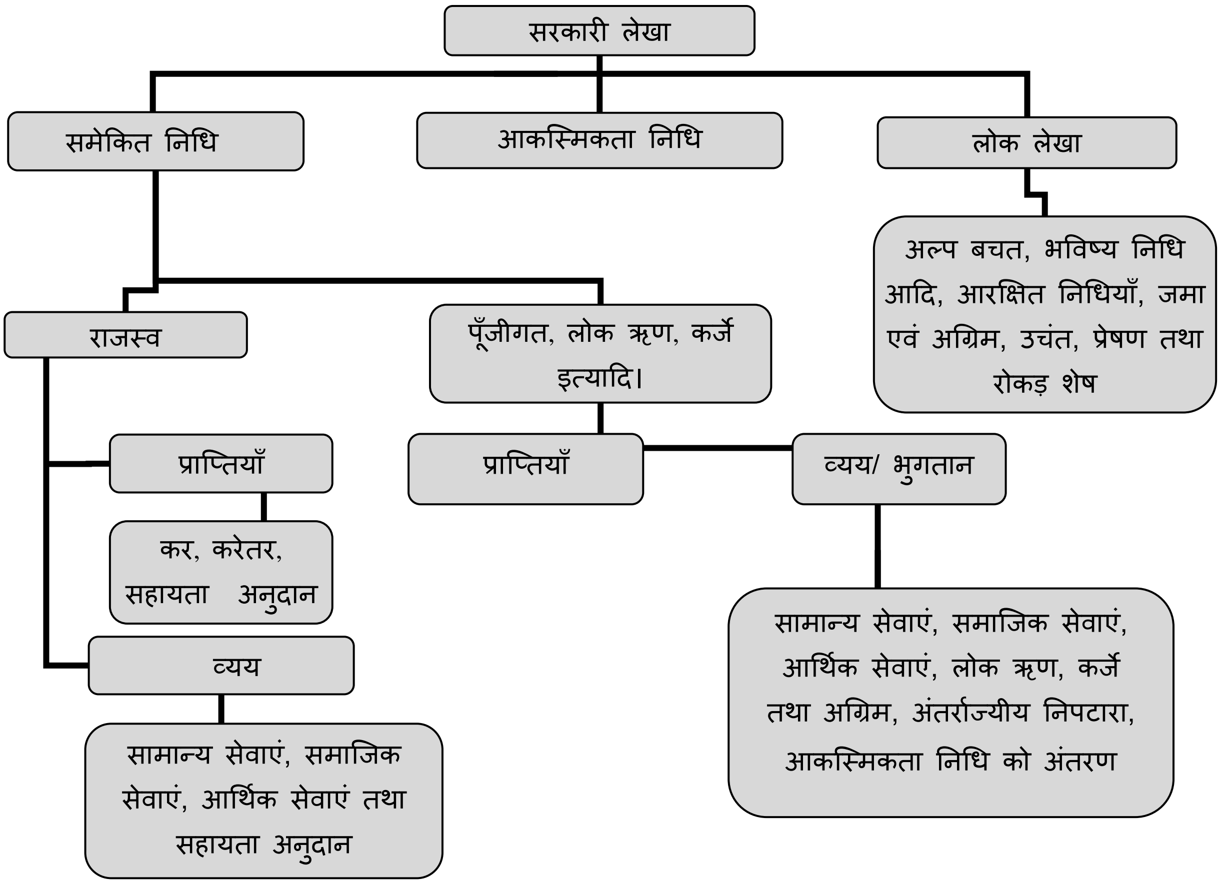

ख. वित्त लेखे में क्या निहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिर्पोट, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष हेतु संघ राज्य क्षेत्र सरकार की वित्तीय स्थिति तथा संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं तथा लेखाओं की टिप्पणियाँ निहित है। **खण्ड I** के 13 विवरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरण संघ राज्य क्षेत्र सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्ष के अंत में विद्यमान संचयी आँकड़ों तथा पिछले वर्ष के अंत की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।

2. **प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण:** यह विवरण सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा, में वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुलग्नक भी निहित है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को सम्मिलित करते हुए) को दर्शाता है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप से दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इस विवरण में राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों और उधार तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान का समावेश है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से हटकर यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।

5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।

6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधारों में इसके द्वारा लिये गये बाजार ऋणों (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों को शामिल किया जाता है। **'अन्य देयताओं'** में 'अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि', **'आरक्षित निधियाँ'** तथा **'जमा'** समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।

7. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण**: यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी ऋणों और अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूँजी में सरकार के निवेशों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।

9. **सरकार द्‌वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण:** यह विवरण सरकार द्‌वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्‌वारा लिये गये ऋणों का मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।

10. **सरकार द्‌वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण:** यह विवरण संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्‌वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान प्राप्तकर्त्ता जैसे, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध करवाता है।

11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों का विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।

12. **राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाया जाना चाहिए, जबकि वर्ष का पूँजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरू में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश:** यह विवरण लेखाओं की परिशुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14,15,16,17,18 तथा 21 के समतुल्य है।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखाओं पर टिप्पणियाँ प्रकटनों तथा व्याख्यात्मक नोट को प्रदान करते है जिनसे संव्यवहारों, संव्यवहारों के वर्गों, शेषों इत्यादि से संबंधित अतिरिक्त सूचना/ व्याख्या प्रदान करना अभिप्रेत है जोकि सूचना वित्त लेखाओं के हितधारकों/ प्रयोक्ताओं के लिए सहायक होंगे।

बजट तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार, भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस) की आवश्यकताओं, लेखाओं का स्वरूप, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन इत्यादि को सम्मिलित करते हुए महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को वित्त लेखा के खण्ड-I में लेखाओं पर टिप्पणियाँ के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

वित्त लेखाओं के खण्ड II में दो भाग हैं- भाग I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग II में 13 परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

खण्ड II का भाग I

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण: यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है। लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने के अतिरिक्त यह विवरण उप शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के संबंध में ब्यौरों को दर्शाता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण: यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, संघ राज्य क्षेत्र सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं।

16. लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को योजनागत (संघ राज्य क्षेत्र योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजना योजनाएं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लघुशीर्ष स्तर पर पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, महत्त्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, यह विवरण उप-शीर्ष स्तरों तक के ब्यौरे भी दर्शाता है।

17. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण: यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि**)** तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों को समाविष्ट करता है। यह विवरण तीन श्रेणियों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋणों के ब्यौरे; (ख) परिपक्वता विवरणिका अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के ऋणों से संबंधित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।

18. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण: यह विवरण, खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के समतुल्य है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण: यह विवरण अधिष्ठानवार निवेशों के ब्यौरों तथा मुख्य एवं लघु शीर्षवार वर्ष के दौरान निवेशों के वह ब्यौरों, जहां विवरण 16 एवं 19 के बीच विसंगतियां है, को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।

20. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण: यह विवरण सरकारी प्रत्याभूतियों के इकाई वार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 9 के समतुल्य है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(समाप्त)

21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण:** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में लघु शीर्ष स्तर पर बकाया शेषों का विवरण दर्शाता है।

22. **चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण:** यह विवरण, आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से निवेशों के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, आर्थिक सहायता/ सहायिका(सब्सिडी), सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि विभिन्न मदों अथवा उसके निचे तक के स्तर पर **13 परिशिष्ट** सम्मिलित हैं। इन ब्यौरों को लेखाओं में उप-शीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किया जाता हैं तथा ऐसा सामान्यत: वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II में विषय सूची पर दर्शायी गयी है। परिशिष्ट के साथ पठित विवरण तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के लेखाओं के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते है।

ग. तैयार संगणक

नीचे दिया गया अनुभाग खण्ड I में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों के साथ सीधा संपर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है)

मापदण्ड	**(खण्ड I)**	**(खण्ड II)**	**परिशिष्ट**
	संक्षिप्त विवरण	**विस्तृत विवरण**	
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	---
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सहायिकी)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	---	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	---
ऋण की स्थिति/ उधार	1, 2, 6	17	---
कंपनियों, निगमों इत्यादि में सरकार के निवेश	8	19	---
रोकड़	1, 2, 12, 13	---	---
लोक लेखा में शेष तथा उसके निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	---
प्रत्याभूतियाँ	9	20	
योजनाएं	---	---	IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं),

खण्ड-I

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

परिसंपत्तियाँ [1]	संदर्भ: वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ	क्र. सं.: विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
				(₹ करोड़ में)
रोकड़			1,448.31 **(-)42.08**	1,447.65 **(-)42.08**
(i) राजकोषों और स्थानीय प्रेषणों में नकद		21	- **6.77**	- **6.77**
(ii) विभागीय शेष		21	- **4.97**	- **4.97**
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	- **0.12**	- **0.12**
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	- **383.92**	- **383.92**
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में जमाएं	5(v)	21	1,448.31 * **(-)448.72**	1,447.65 **(-)448.72**
(vi) चिह्नित निधियों से शेष[2]		22	- **10.86**	- **10.86**
पूँजीगत व्यय		5 व 16	37,713.39 **1,03,000.76**	26,939.61 **1,03,000.76**
(i) कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश		5 व 16	266.27 $ **4,620.16**	235.40 **4,620.16**
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5 व 16	37,447.12 **98,380.60**	26,704.21 **98,380.60**
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	4	21	**-** **-**	**-** **-**
ऋण और अग्रिम	3 (xi)	18	226.46 **1,740.44**	168.26 **1,740.44**
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	**-** **12.69**	**-** **12.69**
उंचत और विविध शेष[3]	5 (iii)	21	- **344.15**	**-** **344.15**
प्रेषण शेष	5 (iii)	21	687.67 -	698.32 -
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण		2 व 4	-	-
प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता[4]		12	-	355.95
कुल			40,075.83 **1,05,055.96**	29,609.79 **1,05,055.96**

[1] *परिसंपत्तियों और देयताओं के आँकड़े संचयी आँकड़े हैं। कृपया 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ' भाग में टिप्पणी 1 (v) का भी अवलोकन करें।*

[2] *कंपनियों इत्यादि के शेयरों में चिह्नित निधियों में से निवेश को पूँजीगत व्यय से बाहर रखा गया है और 'चिह्नित निधियों से निवेश' के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।*

[3] *इस विवरण में रेखा मद 'उचंत और विविध शेष' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा, 'विभागीय शेष' और 'स्थायी नकद अग्रदाय' सम्मिलित नहीं है, जिनको अलग से ऊपर सम्मिलित किया गया है, हालांकि बाद वाला इन लेखाओं में कहीं और इस क्षेत्रक का हिस्सा है।*

[4] *प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/ राजस्व घाटे को प्रदर्शित नहीं करती हैं।*

(*) *कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर पाद टिप्पणी '@' "विवरण संख्या 02 के अनुलग्नक" खण्ड-I का संदर्भ लें।*

($) *प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपे गए लेखों में सरकार द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकडे वित्त लेखों के विवरण संख्या 8 खंड- I और विवरण संख्या 19 खंड- II में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता है*

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

देयताएं	*संदर्भ क्र. सं.*		31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
				(₹ करोड़ में)
उधार (लोक ऋण)			29,185.40 **46,666.22**	25,137.83 **46,666.22**
(i) आंतरिक ऋण		6 व 17	23,473.66 **45,429.09**	19,306.08 **45,429.09**
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		6 व 17	5,711.74 **1,237.13**	5,831.75 **1,237.13**
अनियोजित ऋण		6 व 17	- **96.29**	- **96.29**
राज्य आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	(-)412.46 **1,055.03**	(-)293.72 **1,055.03**
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं के लिए ऋण		6 व 17	-	-
विधानमण्डल योजनाओं के साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण		6 व 17	6,124.21 **38.77**	6,125.47 **38.77**
अन्य ऋण		6 व 17	- **47.04**	- **47.04**
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	4	21	25.00 **1.00**	25.00 **1.00**
लोक लेखा पर देयताएं			5,244.76 **38,242.64**	4,446.96 **39,728.77**
(i) लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि		17 व 21	1,017.70 ^ **25,735.23**	1,591.41 **27,161.62**
(ii) आरक्षित निधियाँ	5(ii) (अ)(ब)	21 व 22	1,295.74 $ **2,805.43**	920.13 **2,805.43**
(iii) जमाएं		17 व 21	2,393.09 **6,854.49**	1,686.04 **6,914.23**
(iv) प्रेषण शेष	5(iii)	21	- **2,847.49**	- **2,847.49**
(v) उचंत और विविध शेष	5(iii)	21	538.23 -	249.38 -
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता		12	5,620.67 **20,146.10**	- **18,659.97**
कुल			40,075.83 **1,05,055.96**	29,609.79 **1,05,055.96**

(^) *विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 6 में दर्शाए गए आँकड़ों में ₹ 0.01करोड़ की भिन्नता।*

($) *विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 6 तथा 13 में दर्शाए गए आँकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-क: राजस्व					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
					(₹ करोड़ में)
राजस्व प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**68,975.95**	**59,238.50**	**राजस्व व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क,4-ख एवं 15)*	**62,999.34**	**59,269.33**
कर राजस्व (संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सृजित) *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**12,335.47**	**11,707.28**	**वेतन[1]** *(संदर्भ विवरण 4-ख और परिशिष्ट-I)*	**27,838.17**	**26,076.79**
गैर कर राजस्व *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**5,147.55**	**4,840.45**	**सहायिकाएं[1]** *(संदर्भ परिशिष्ट-II)*	**-**	**-**
			सहायता अनुदान[1] [2] *(संदर्भ विवरण 4-ख, 10 और परिशिष्ट-III)*	**6,089.41**	**4,807.26**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4 व 15)*	**21,918.01**	**21,037.88**
ब्याज प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	18.79	16.54	ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	8,552.73	7,405.31
			पेंशन *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	11,142.38	11,563.00
अन्य *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	5,128.76	4,823.91	अन्य *(संदर्भ विवरण 4-ख)*	2,222.88	2,069.57
संघीय कर/ शुल्कों का अंश *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**-**		**समाज सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**4,267.93**	**4,221.21**
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**2,885.82**	**3,126.19**
केन्द्र सरकार से अनुदान *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**51,492.93**	**42,690.77**	**स्थानीय निकायों और पीआरआई को प्रतिकर और समुदेशन** *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**-**	**-**
राजस्व घाटा	**-**	**30.83**	**राजस्व अधिशेष**	**5,976.61^**	**-**

[1] *वेतन, सहायिकी और सहायता-अनुदान के आँकड़ों को सभी क्षेत्रकों में एक समेकित आँकड़ा पेश करने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। 'सामाजिक', 'सामान्य' और 'आर्थिक' सेवाओं के क्षेत्रों के अंतर्गत इस विवरण में होने वाले व्यय में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान (इनकी व्याख्या क्रमशः विवरण 15 खण्ड-II में नीचे 'सामान्य', 'सामाजिक', और 'आर्थिक सेवाओं' के रूप में पाद टिप्पणी छ, ट, और ढ में की गई है।) पर व्यय सम्मिलित नहीं है।*

[2] *सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता-अनुदान दी जाती है जो ऊपर एक लाइन मद के रूप में सम्मिलित है। ये अनुदान स्थानीय निकायों के लिए करों, शुल्कों की क्षतिपूर्ति और आबंटन से अलग हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों और पीआरआई को क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में दर्शाया गया है।*

(^) *मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 12 में ₹ 0.02 करोड़ तक भिन्नता*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-I समेकित निधि-(समाप्त)					
अनुभाग-ख: पूँजीगत-					
प्राप्तियाँ			**संवितरण**		
	2022-23	**2021-22**		**2022-23**	**2021-22**
					(₹ करोड़ में)
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**-**	**-**	**पूँजीगत व्यय(क)** *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 16)*	**10,773.78#**	**11,047.04**
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**1,098.38**	**659.03**
			समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**2,713.42**	**2,722.61**
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**6,961.98**	**7,665.40**
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	**1.33**	**1.03**	**संवितरित ऋण और अग्रिम** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	**59.53**	**73.77**
सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	-	-	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	-	-
समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.49	0.21	**समाज सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	-	-
आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.03	0.04	**आर्थिक सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	59.53	73.77
अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण) *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.81	0.78	**अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण)** *(संदर्भ विवरण 4-क 7 व 18)*	-	-
लोक ऋण प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	**38,114.48**	**54,045.35**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	**34,066.91**	**41,575.17**
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	38,114.48	50,199.86	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	33,946.90	41,455.99
भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 3,6 व 17)*	-	3,845.49	भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 4-क,6 व 17)*	120.01	119.18
आकस्मिकता निधि में अंतरण	**-**	**-**	**आकस्मिकता निधि में अंतरण**	**-**	**-**
आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि *(संदर्भ विवरण 3)*	**1,07,091.76**	**1,13,284.88**	**कुल व्यय समेकित निधि** *(संदर्भ विवरण 4)*	**1,07,899.56**	**1,11,965.31**
समेकित निधि में घाटा	**807.80**	**-**	**समेकित निधि में अधिशेष**	**-**	**1,319.57**

(क) *₹ 28.03 करोड़ सहायिकी और ₹ 191.10 करोड़ का सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। कृपया वित्त "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के पैरा 3 (ii) का अवलोकन करें।*

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-II आकस्मिकता निधि					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
					(₹ करोड़ में)
आकस्मिकता निधि *(संदर्भ विवरण 21)*	-	-	आकस्मिकता निधि *(संदर्भ विवरण 21)*	-	-
भाग-III लोक लेखा[4]					
लघु बचतें *(संदर्भ विवरण 21)*	6,062.49	6,023.99	लघु बचतें *(संदर्भ विवरण 21)*	6,636.19	6,618.55
आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ *(संदर्भ विवरण 21)*	452.45	432.89	आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ *(संदर्भ विवरण 21)*	76.84	283.90
जमाएं *(संदर्भ विवरण 21)*	4,612.87	4,282.24	जमाएं *(संदर्भ विवरण 21)*	3,905.82	3,951.72
अग्रिम *(संदर्भ विवरण 21)*	-	-	अग्रिम *(संदर्भ विवरण 21)*	-	-
उचंत तथा विविध [5] (संदर्भ विवरण 21)	24,335.86	16,438.34	उचंत तथा विविध [5] (संदर्भ विवरण 21)	24,046.99	16,310.11
प्रेषण *(संदर्भ विवरण 21)*	1.18	46.01	प्रेषण *(संदर्भ विवरण 21)*	(-)9.47	1,378.82
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा *(संदर्भ विवरण 21)*	35,464.85	27,223.47	कुल संवितरण लोक लेखा *(संदर्भ विवरण 21)*	34,656.37	28,543.10
लोक लेखा में घाटा	-	1,319.63	लोक लेखा में अधिशेष	808.48	-
अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)	-	-	अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)	-	-
अथ रोकड़ शेष (संदर्भ विवरण 21)	1,447.65	1,447.69	अंत रोकड़ शेष (संदर्भ विवरण 21)	1,448.31[#]	1,447.65
रोकड़ शेष में वृद्धि	0.66	-	रोकड़ शेष में घाटा	_	0.04

[4] *ब्योरे हेतु कृपया विवरण 17 तथा 21 में खंड II का संदर्भ लें।*

[5] *"उचंत और विविध" में "अन्य लेखे" जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं के कारण आँकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। ब्योरे हेतु कृपया विवरण 21, खण्ड-II का संदर्भ लें।*

(#) *कृपया "वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां" खण्ड-I के विवरण संख्या 2 के परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 7 पर पाद टिप्पणी '@' तथा पैरा 5 (v) का संदर्भ लें।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण -(जारी)

अनुलग्नक क

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की संपूर्ण रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(i) कोषागारों में रोकड़	-	-
	6.77	**6.77**
(ii) आरबीआई के पास अग्रिम **एमएच 8999**	1,447.65	1,448.31 (@)
	(-)469.74	**(-)469.74**
(iii) जम्मू एवं कश्मीर बैंक और अन्य बैंकों में जमा	-	-
	21.02	**21.02** ($)
(iv) स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	1,447.65	1448.31
	(-)441.95	**(-)441.95**
(v) रोकड़ शेष निवेश खाते में रोका गया शेष **(एमएच 8673)**	-	-
	383.92	**383.92**
कुल (क)	1,447.65	1,448.31
	(-)58.03	**(-)58.03**
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(i) विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, अर्थात्, लोक निर्माण एवं वन के प्रभागीय अधिकारी	**4.97**	**4.97**
(ii) विभागीय अधिकारियों के साथ आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	**0.12**	**0.12**
(iii) चिह्नित निधियों में से निवेश	**10.86**	**10.86** (^)
कुल (ख)	**15.95**	**15.95**
कुल (क) और (ख)	1,447.65	1,448.31
	(-)42.08	**(-)42.08**

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों: रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य राजकोषों, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा, अन्य बैंकों तथा पारगमन में प्रेषण, रोकड़ से मिलकर बना है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। रिजर्व बैंक के पास जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष, 31 मार्च 2023 के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। संपूर्ण रोकड़ स्थिति तक पहुँचने के लिए रोकड़ शेषों/ आरक्षित निधियों आदि में से कोषागारों, विभागों और निवेशों में रखे रोकड़ शेष 'आरबीआई के पास जमा' शेष में जमा किया जाता है।

(@) *रिजर्व बैंक के पास जमा' शेष भारतीय लेखा के अनुसार रखे शेष को दर्शाता है, जिसमें 10 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की सरकारी भुगतानों की सलाह भी सम्मिलित है। जैसा कि लेखाओं से पता चलता है कि अंकों के मध्य ₹2.65 करोड़ (डे.) का कुल अंतर है [₹ 1,448.31 करोड़ (डे.)] और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया गया [₹ 1,445.66 करोड़ (क्रे.)] अंतर आरबीआई एवं सरकार के मध्य मिलानाधीन है (जुलाई 2023)।*

($) *जिसमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लाहौर में पड़े ₹ 0.03 करोड़ भी सम्मिलित हैं। हालांकि यह लेखा परिचालित नहीं किया जा रहा है।*

(^) *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2023) है।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुलग्नक क-(जारी)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश -(जारी)

(क) दैनिक रोकड़ शेषः भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को दिनांक 01.04.2020 से सभी दिवसों में बैंक में ₹1.14 करोड़ के न्यूनतम रोकड़ शेष का अनुरक्षण करना है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम रहता है, तो कमी को समय-समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों को लेते हुए ठीक किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक उपर्युक्त न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अनुदान के सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवर ड्राफ्टों के प्रयोजनों हेतु दैनिक रोकड़ को शेष बनाये रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग के साथ दिन में हुए संव्यवहारों की रिर्पोटों (आरबीआई कांउटर पर एजेन्सी बैंकों द्वारा अंतर सरकारी संव्यवहार तथा कोषागार संव्यवहार को रिपोर्ट किया गया) का मूल्यांकन करती है। ऐसा करके जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसको 14 दिनों के कोषागार बिलों की परिपक्वता यदि कोई हो, को जोड़कर और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखने के उपरांत बकाया शेष, यदि कोई हो, को कोषागार बिलों में पुन: निवेश किया जाता है। **परिणामस्वरूप प्राप्त कुल रोकड़ शेष यदि न्यूनतम रोकड़ शेष एवं जमा शेष से कम रहता है** और अगर उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार बिल परिपक्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आरबीआई 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग्स को फिर से छूट प्रदान करती है और कमियों को दूर करती है। यदि उस दिन कोई 14 दिवसीय कोषागार बिल की होल्डिंग्स न हो उस स्थिति में सरकार अन्य सामान्य अर्थोपोय अग्रिमों/ विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट को लागू करती है।

(ख) आरबीआई के दिनांक 1 अप्रैल 2022, के प्रेस रिलीज के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार हेतु सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों ₹1,050.00 करोड़ के रूप में परिभाषित किया है।

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान वह तय सीमा, जिसमें सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखती है, नीचे दी गयी है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	**दिनों की संख्या**
उन दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम लिये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	83
उन दिनों की संख्या जिनमें विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	147
उन दिनों की संख्या जिनमें उपर्युक्त अग्रिम लेने के उपरांत भी न्यूनतम शेष में कमी थी किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया।	135

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(i) वर्ष 2022-23 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिये गये थे। 31.03.2023 को शेष ₹(-)576.07 करोड़ (सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹(-)576.07 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य)। दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को ₹692.11 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹692.11 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य) का शेष था जिसे अभी तक उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित किया जाना है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(समाप्त)

अनुलग्नक क-(समाप्त)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश -(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

(ii) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिनांक 01.04.2020 से एक करार किया।

01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के दौरान रैपो दर निम्नानुसार थी:-

अवधि	**रैपो दर**
01-04-2022 से 03-05-2022	4.00 *प्रतिशत*
04-05-2022 से 07-06-2022	4.40 *प्रतिशत*
08-06-2022 से 04-08-2022	4.90 *प्रतिशत*
05-08-2022 से 29-09-2022	5.40 *प्रतिशत*
30-09-2022 से 06-12-2022	5.90 *प्रतिशत*
07-12-2022 से 07-02-2023	6.25 *प्रतिशत*
08-02-2023 से 31-03-2023	6.50 *प्रतिशत*

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों संबंध में ब्याज 90 दिनों तक प्रभारित किया जाता है, जो रैपो दर के समकक्ष होता है और 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाने पर यही ब्याज रैपो का एक प्रतिशत अधिक हो जाता है।

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की 100 प्रतिशत तक की सीमा तक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रैपो दर से दो प्रतिशत अधिक होता है तथा सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के 100 प्रतिशत से अधिक होने पर यही रैपो दर पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्टों पर भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमश: ₹ 36.51 करोड़ तथा ₹10.83 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार के कोषागार बिल जिनका मूल्य ₹22,738.55 करोड़ (₹22,738.55 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा *शून्य* संघ राज्य क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) था, उन्हें 27 अवसरों पर खरीदा गया तथा ₹22,738.55 करोड़ (₹22,738.55 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा *शून्य* संघ राज्य क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) को 38 अवसरों पर वर्ष 2022-23 में पुन: छूट दी गई। 31 मार्च 2023 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में कोई राशि नहीं थी। तथापि, 30 अक्टूबर 2019 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में रोकी गयी ₹383.92* करोड़ की राशि को अभी तक आनुक्रमिक संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

(घ) वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा पर ₹0.03 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया था।

(*) *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2023) है।*

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)

	विवरण	(वास्तविक) 2022-23	(वास्तविक) 2021-22 (₹ करोड़ में)
I.	**राजस्व प्राप्तियाँ-**		
क.	**कर राजस्व-**		
क.1	**स्वयं के कर राजस्व-**	**12,335.47**	**11,707.28**
	संघ राज्य-क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	7,211.98	6,394.30
	भू-राजस्व	131.60	113.28
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	556.66	512.02
	राज्य उत्पाद शुल्क	1,793.74	1,782.79
	बिक्री कर	1,554.32	1,906.32
	वाहनों पर कर	723.42	616.24
	वस्तुओं और यात्रियों पर कर	23.75	5.73
	विद्युत पर कर और शुल्क	340.00	376.60
	अन्य	-	-
क.2	**करों की निवल प्राप्तियों का अंश -**	**-**	**-**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-	-
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	-
	निगम कर	-	-
	निगम कर के अलावा आय पर कर	-	-
	आय और व्यय पर अन्य कर	-	-
	धन-संपत्ति पर कर	-	-
	सीमा शुल्क	-	-
	संघीय उत्पाद शुल्क	-	-
	सेवा कर	-	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	-	-
	अन्य		-
	कुल-क	**12,335.47**	**11,707.28**
ख.	**गैर कर राजस्व-**		
	विद्युत	3,307.54	2,715.75
	मध्यम सिंचाई	706.23	886.62
	ग्राम एवं लघु उद्योग	240.08	3.46
	वानिकी और वन्य जीवन	214.49	201.23

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

		(वास्तविक)	**(वास्तविक)**
	विवरण	**2022-23**	**2021-22**
			(₹ करोड़ में)
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)		
ख.	**गैर कर राजस्व**-(समाप्त)		
	जलापूर्ति और स्वच्छता	110.16	111.88
	पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	101.81	21.95
	अलौह खनन और धात्विक उद्योग	101.17	128.78
	पुलिस	89.89	68.68
	लोक निर्माण	55.19	29.62
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	39.00	41.63
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	33.76	30.99
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	18.79	16.54
	फसल पैदावार	18.13	16.19
	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	12.53	474.12
	पशुपालन	12.10	12.33
	शहरी विकास	11.03	12.31
	मत्स्यपालन	10.52	9.88
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10.03	5.63
	पर्यटन	9.79	9.90
	लघु सिंचाई	9.32	10.93
	श्रम और रोजगार	8.82	7.58
	लेखन सामग्री और मुद्रण	8.60	7.20
	आवास	4.75	5,74
	खाद्य संग्रहण और भण्डारण	1.73	2.66
	अन्य	12.09	8.85
	कुल-ख	**5,147.55**	**4,840.45**

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

			(वास्तविक)	(वास्तविक)
	विवरण		**2022-23**	**2021-22**
				(₹ करोड़ में)
	राजस्व प्राप्तियाँ-(समाप्त)			
II.	**भारत सरकार से अनुदान**			
ग.	**अनुदान-**			
	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-		**6,029.68**	**6,713.77**
		केन्द्रीय सहायता/ अंश	6,129.00	6,713.77
		बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	-	-
		अन्य	(-)99.32^	-
	वित्त आयोग अनुदान-		**-**	**-**
		पूर्व अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	-	-
		ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-	-
		शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-	-
		राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु सहायता अनुदान	-	-
	अन्य अंतरण/ राज्यों/ विधानमण्डल युक्त संघ राज्य-क्षेत्रो को अनुदान-		**45,463.25**	**35,977.00**
		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	-	-
		केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान	343.61	320.78
		विशेष सहायता	44,701.68$	34,763.66
		जीएसटी के कार्यान्वयन से हुयी राजस्व की हानि हेतु प्रतिकर	418.12	892.56
		अन्य	(-)0.16^	
		कुल-ग	**51,492.93**	**42,690.77**
		कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**68,975.95**	**59,238.50**
III.	**पूँजीगत, सार्वजनिक ऋण और अन्य प्राप्तियाँ**			
घ.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ-**		-	-
	विनिवेश प्राप्तियाँ		-	-
	अन्य		**-**	-
		कुल-घ.	-	**-**

($) *संघ राज्य-क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि- जम्मू एवं कश्मीर अंशदान के प्रति ₹ 279.00 करोड़ की अनुदान सम्मिलित हैं।*

(^) *भारत सरकार को पिछले वर्ष की अप्रयुक्त सहायता अनुदान की वापसी को दर्शाता है*

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(समाप्त)

विवरण			(वास्तविक) 2022-23	(वास्तविक) 2021-22
				(₹ करोड़ में)
ङ.	**लोक ऋण प्राप्तियाँ-**			
	आंतरिक ऋण-		**38,114.48**	**50,199.86**
		बाजार ऋण	8,473.00	8,562.00
		आरबीआई से डब्ल्यूएमए[1]	28,960.73	36,103.03
		बंध पत्र	-	-
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	680.75	534.83
		राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-	5,000.00
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		-	**3,845.49**
		केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-
		अन्य ऋण	-	-
		विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण	-	3,845.49
		कुल-ङ	**38,114.48**	**54,045.35**
च.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ) [2]**		**1.33**	**1.03**
छ.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**		**-**	**-**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ [3](क +ख +ग +घ +ङ +च +छ)		**1,07,091.76**	**1,13,284.88**

[1] *भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से लिये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट।*

[2] *ब्यौरे विवरण सं. 7 खण्ड-I और 18 खण्ड-II में दिये गये हैं।*

[3] *ब्यौरे विवरण 14 और 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।*

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)

क. प्रकार्य के अनुसार व्यय					
विवरण		राजस्व	पूँजीगत	एलएण्डए	कुल
					(₹ करोड़ में)
क.	**सामान्य सेवाएं-**				
क.1	**राज्य के अंग-**	**405.77**	**-**	**-**	**405.77**
	संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	23.63	-	-	23.63
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	13.75	-	-	13.75
	मंत्रिपरिषद	-	-	-	-
	न्याय-प्रशासन	319.52	-	-	319.52
	चुनाव	48.87	-	-	48.87
क.2	**राजकोषीय सेवाएं-**	**9,174.38**	**-**	**-**	**9,174.38**
	भू-राजस्व	-	-	-	-
	स्टाम्प और पंजीकरण	15.24	-	-	15.24
	संपत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	-	-	-	-
	राज्य उत्पाद शुल्क	38.66	-	-	38.66
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1.86	-	-	1.86
	वाहनों पर कर	30.10	-	-	30.10
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शुल्कों का संग्रहण	523.28	-	-	523.28
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.28	-	-	0.28
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	12.22	-	-	12.22
	ब्याज भुगतान और ऋण-सेवा	8,552.74 ^	-	-	8,552.74
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं-**	**10,438.33**	**1,090.82**	**-**	**11,529.15**
	लोक सेवा आयोग	9.95	-	-	9.95
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	141.03	-	-	141.03
	जिला प्रशासन	569.98	-	-	569.98
	कोषागार और लेखे प्रशासन	161.96	-	-	161.96
	पुलिस	8,200.25	179.60	-	8,379.85
	कारावास	92.14	-	-	92.14
	लेखन सामग्री और मुद्रण	39.68	1.78	-	41.46
	लोक निर्माण	692.11	887.40	-	1,579.51
	सतर्कता	71.45	-	-	71.45
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	459.78	22.04	-	481.82

(^) *मशीन पूर्णांकन के कारण "प्राप्तियाँ एवं संवितरण " के विवरण संख्या 2 में तथा क्रमश: विवरण संख्या 2 व 4 में लिए गए आँकड़ों के साथ ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता है।*

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. प्रकार्य के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
					(₹ करोड़ में)
क.4	**पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं-**	**11,143.65**	**7.56**	-	**11,151.21**
	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति	11,142.38	-	-	11,142.38
	विविध सामान्य सेवाएं	1.27	7.56	-	8.83
	कुल सामान्य सेवाएं	**31,162.13**	**1,098.38**	**-**	**32,260.51**
ख.	**सामाजिक सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (विवरण के नीचे [1] देखें)**	**11,427.44**	**851.87**	**-**	**12,279.31**
	सामान्य शिक्षा	10,825.02	851.87	-	11,676.89
	तकनीकी शिक्षा	137.96	-	-	137.96
	खेल और युवा सेवाएं	409.30	-	-	409.30
	कला और संस्कृति	55.16	-	-	55.16
ख.2	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-**	**5,728.94**	**365.76**	**-**	**6,094.70**
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	5,027.88	365.76	-	5,393.64
	परिवार कल्याण	701.06	-	-	701.06
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-**	**3,119.83**	**989.39**	**-**	**4,109.22**
	जलापूर्ति और स्वच्छता	1,744.32	208.77	-	1,953.09
	आवास	105.16	7.71	-	112.87
	शहरी विकास	1,270.35	772.91	-	2,043.26
ख.4	**सूचना और प्रसारण-**	**104.98**	**0.04**	**-**	**105.02**
	सूचना और प्रचार	104.98	0.04	-	105.02
ख.5	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-**	**95.55**	**100.92**	**-**	**196.47**
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	95.55	100.92	**-**	196.47
ख.6	**श्रम और श्रम कल्याण-**	**48.09**	**-**	**-**	**48.09**
	श्रम,रोजगार और कौशल विकास	48.09	-	**-**	48.09

[1] *मुख्य शीर्ष मात्र सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति के प्रति पूँजीगत परिव्यय बुक करने हेतु हैं।*

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. प्रकार्य के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
					(₹ करोड़ में)
ख.7	**सामाजिक कल्याण और पोषण -**	**2,409.13**	**387.72**	**-**	**2,796.85**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,680.34	363.51	-	2,043.85
	पोषण	417.77	24.21	-	441.98
	प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत	311.02	-	-	311.02
ख.8	**अन्य-**	**50.40**	**17.72**	**-**	**68.12**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1.20	17.72	-	18.92
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	49.20	-	-	49.20
	कुल सामाजिक सेवाएं	**22,984.36**	**2,713.42**	**-**	**25,697.78**
ग.	**आर्थिक सेवाएं-**				
ग.1	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-**	**3,355.44**	**586.61**	**-**	**3,942.05**
	फसल पैदावार	662.20	270.22^	-	932.42
	मृदा एव जल संरक्षण	58.14	5.29	-	63.43
	पशुपालन	588.36	110.81	-	699.17
	डेयरी विकास	-	-	-	-
	मत्स्यपालन	107.90	12.61	-	120.51
	वानिकी एवं वन्य जीवन	1,258.41	76.20	-	1,334.61
	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	167.61	73.54	-	241.15
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	406.75	35.04	-	441.79
	सहकारिता	79.69	2.90	-	82.59
	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	26.38	-	-	26.38
ग.2	**ग्रामीण विकास-**	**578.97**	**2,436.39**	-	**3,015.36**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष	21.85	-	-	21.85
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	-	-	-	-
	भूमि सुधार	-	-	-	-
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	557.12	2,436.39	-	2,993.51
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-**	**-**	**-**	-	**-**
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
ग.4	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-**	**639.33**	**258.39**	-	**897.72**
	मुख्य सिंचाई	8.39	-	-	8.39
	मध्यम सिंचाई	70.39	28.61	-	99.00
	लघु सिंचाई	413.17	39.91	-	453.08
	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	29.97	19.71	-	49.68
	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	117.41	170.16	-	287.57

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. प्रकार्य के अनुसार व्यय-(समाप्त)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
					(₹ करोड़ में)
ग.5	**ऊर्जा-**	**2,768.74**	**722.46**	**-**	**3,491.20**
	विद्युत	2,768.74	722.46	-	3,491.20
ग.6	**उद्योग एवं खनिज -**	**437.16**	**100.92**	**52.03**	**590.11**
	ग्राम एवं लघु उद्योग	324.51	95.67	-	420.18
	लौह एवं इस्पात उद्योग	-	4.29	-	4.29
	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	112.65	0.96	-	113.61
	अन्य उद्योग एवं खनिज	-	-	52.03	52.03
ग.7	**परिवहन-**	**666.01**	**2,094.11**	**7.50**	**2,767.62**
	सड़कें और पुल	666.01	2,091.39	-	2,757.40
	सड़क परिवहन	-	2.72	7.50	10.22
ग.8	**संचार**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग.9	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-**	**48.48**	**37.17**	-	**85.65**
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	48.48	-	-	48.48
	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान	-	37.17	-	37.17
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं-**	**358.72**	**725.93**		**1,084.65**
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	88.61	-	-	88.61
	पर्यटन	174.50	167.94	-	342.44
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	83.89	-	-	83.89
	सामान्य वितीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.72	557.99	-	569.71
	कुल आर्थिक सेवाएं	**8,852.85**	**6,961.98**	**59.53**	**15,874.36**
घ.	**सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-**				
	सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-	-	-	-	-
	विविध ऋण	-	-	-	-
	कुल सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि			**-**	**-**
ङ.	**लोक ऋण-**				
	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	-	-	33,946.90	33,946.90
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	120.01	120.01
	कुल लोक ऋण	**-**	**-**	**34,066.91**	**34,066.91**
च.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**	**-**	**-**	**-**	**-**
छ.	**आकस्मिकता निधि में विनियोग**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल समेकित निधि व्यय	**62,999.34**	**10,773.78**	**34,126.44**	**1,07,899.56**

4 व्यय का विवरण-

ख. प्रकृति के

	व्यय की वस्तु	2022-23		
		राजस्व	**पूँजीगत**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)
				(₹ करोड़ में)
1	वेतन	27,838.17	-	27,838.17
2	पेन्शन और उपदान	11,142.38	-	11,142.38
3	निर्माण	112.36	9,998.63	10,110.99
4	ब्याज	8,552.73	-	8,552.73
5	सहायता अनुदान	6,089.41	191.10	6,280.51
6	एसपीओ/ वीडीसी/ आंगनवाड़ी कर्मिकों इत्यादि को मानदेय	831.83	-	831.81
7	विद्युत प्रभार	764.32	-	764.32
8	अनुरक्षण और मरम्मत	555.95	-	555.95
9	किराया दर और कर	544.93	-	544.93
10	समारक्षण का बाह्यस्रोतन	481.98	-	481.98
11	औषधि और यंत्र	436.12	-	436.12
12	राहत और पुनर्वास	397.93	-	397.93
13	सामग्री और आपूर्तियाँ	343.05	18.71	361.76
14	आरक्षित और जमा निधि को हस्तांतरित	343.61	-	343.61
15	रोकड़ सहायता	260.70	-	260.70
16	वजीफा और छात्रवृत्ति	205.88	-	205.88
17	मशीनरी और उपकरण	185.28	2.73	188.01
18	परिवहन/ ढुलाई प्रभार	157.99	-	157.99
19	कार्यालयीन व्यय	119.77	0.55	120.32
20	विज्ञापन और प्रचार	101.75	-	101.75
21	प्रतिकर	88.41	-	88.41
22	होटलों का किराया	79.22	-	79.22
23	पीओएल	71.08	-	71.08
24	निर्माण कार्य	65.38	-	65.38
25	आहार खर्चे/ प्रभार	53.82	-	53.82
26	यात्रा प्रभार	39.61	-	39.61
27	लघु निर्माण कार्य	-	32.41	32.41
28	सहायिकी	-	28.03	28.03
29	कैम्प, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन	27.78	-	27.78
30	फर्नीचर और साज-सज्जा	20.07	1.73	21.80
31	पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और प्रकाशन	20.25	0.41	20.66
32	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20.41	-	20.41
33	नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम	19.62	-	19.62
34	दूरभाष	17.67	-	17.67
35	अमर नाथ यात्रा	16.11	-	16.11
36	वर्दी	13.57	-	13.57
37	पुरस्कार	8.14	-	8.14
38	मजदूरियाँ	0.90	-	0.90
39	टीकाकरण	0.39	-	0.39
40	अन्य	2,970.77	499.48	3,470.25
	कुल	**62,999.34**	**10,773.78**	**73,773.12**

(समेकित निधि)-(समाप्त)

अनुसार व्यय

2021-22			**2020-21**		
राजस्व	**पूँजीगत**	**कुल**	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**कुल**
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(₹ करोड़ में)			**(₹ करोड़ में)**
26,076.79	-	26,076.79	23,850.26	0.17	23,850.43
11,563.00	-	11,563.00	9,078.11	-	9,078.11
65.73	9,977.12	10,042.85	88.92	8,770.21	8,859.13
7,360.31	-	7,360.31	6,372.46	-	6,372.46
4,807.26	63.60	4,870.86	6,470.27	61.59	6,531.86
840.85	-	840.85	795.64	2.88	798.52
710.88	-	710.88	617.66	-	617.66
476.62	-	476.62	339.29	-	339.29
354.83	-	354.83	149.93	-	149.93
378.94	-	378.94	335.97	-	335.97
487.19	-	487.19	517.10	27.65	544.75
324.91	3.98	328.89	324.40	0.03	324.43
289.68	6.86	296.54	290.64	19.43	310.07
320.78	-	320.78	445.03	-	445.03
273.06	-	273.06	275.34	-	275.34
194.15	-	194.15	183.14	-	183.14
281.93	26.19	308.12	241.61	38.82	280.43
149.86	-	149.86	208.86	0.42	209.28
89.40	-	89.40	88.46	0.57	89.03
76.24	-	76.24	64.29	0.34	64.63
48.29	-	48.29	48.53	-	48.53
51.38	-	51.38	70.08	-	70.08
61.92	-	61.92	56.46	0.29	56.75
49.94	0.67	50.61	-	-	-
39.83	-	39.83	33.28	-	33.28
54.47	-	54.47	60.41	2.04	62.45
-	36.21	36.21	-	224.11	224.11
-	95.16	95.16	0.19	128.05	128.24
13.68	-	13.68	14.55	0.73	15.28
10.89	11.99	22.88	21.91	0.83	22.74
16.66	-	16.66	23.76	0.39	24.15
25.63	-	25.63	32.99	-	32.99
19.72	-	19.72	19.49	-	19.49
14.54	-	14.54	15.37	-	15.37
3.93	-	3.93	5.68	-	5.68
13.62	-	13.62	12.63	-	12.63
8.74	-	8.74	6.96	4.18	11.14
0.85	-	0.85	1.27	-	1.27
1.36	-	1.36	1.57	1.72	3.29
3,711.44	825.27	4,536.71	1,471.24	1,185.93	2,656.53
59,269.30	**11,047.05**	**70,316.35**	**52,633.75**	**10,470.38**	**63,104.13**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			4.07			**4.07**	
4055-	पुलिस पर पूँजीगत व्यय	111.73	486.63	-	179.60	666.23	(+)61
			1,356.87			**1,356.87**	
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1.13	6.05	-	1.78	7.84 $	(+)58
			34.95			**34.95**	
4059-	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	534.80	1,513.58	-	887.40	2,400.98	(+)66
			6,153.33			**6,153.33**	
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10.31	21.82	-	22.04	43.86	*
			104.39			**104.39**	
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.06	140.75	-	7.56	148.30 $	*
			163.21			**163.21**	
	कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	659.03	2,168.83	-	1,098.38	3,267.21	(+)67
			7,816.82			**7,816.82**	

($) *विवरण संख्या 5 में मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता*

(*) विवरण में 100 प्रतिशत से अधिक

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						
	(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा-						
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-	572.31	1,416.89 **6,982.53**	-	851.87	2,268.76 **6,982.53**	(+)49
	कुल-ख(क)-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा	572.31	1,416.89 **6,982.53**	-	851.87	2,268.76 **6,982.53**	(+)49
	(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-						
4210-	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	636.79	1,562.87 **4,906.22**	-	365.76	1,928.63 **4,906.22**	(-)43
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	- **7.97**	-	-	- **7.97**	-
	कुल-ख(ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	636.79	1,562.87 $ **4,914.19**	-	365.76	1,928.63 **4,914.19**	(-)43

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा- (जारी)						
	(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-						
4215-	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	174.99	851.41	-	208.77	1,060.18	(+)19
			7,946.76			**7,946.76**	
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	209.43	214.98	-	7.71	222.69	(-)96
			374.07			**374.07**	
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	450.98	1,334.21	-	772.91	2,107.12	(+)71
			4,994.90			**4,994.90**	
	कुल-ख(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	835.40	2,400.60	-	989.39	3,389.99	(+)18
			13,315.73			**13,315.73**	
	(घ) सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा-						
4220-	सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.22	1.01	-	0.04	1.04 $	(-)82
			33.49			**33.49**	
	कुल-ख (घ)-सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा	0.22	1.01	-	0.04	1.05	(-)82
			33.49			**33.49**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-						
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	125.35	173.00 **305.38**	-	100.92	273.92 **305.38**	(-)19
	कुल-ख (ङ)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा	125.35	173.00 **305.38**	-	100.92	273.92 **305.38**	(-)19
	(च) सामाजिक कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-						
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	509.70	1,052.74 **2,777.63**	-	363.51	1,416.25 **2,777.63**	(-)29
4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	26.87	63.11 **370.83**	-	24.21	87.32 **370.83**	(-)10
	कुल-ख (छ)-सामाजिक कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा	536.57	1,115.85 $ **3,148.46**	-	387.72	1,503.57 **3,148.46**	(-)28

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ख- सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
	(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	15.97	37.90	-	17.72	55.62	(-)11
			372.61			**372.61**	
	कुल-ख(ज)-अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	15.97	37.90	-	17.72	55.62	(+)11
			372.61			**372.61**	
	कुल-ख-सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	2,722.61	6,708.11	-	2,713.42	9,421.53	*
			29,072.39			**29,072.39**	
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-						
4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	362.86	941.37	-	270.24	1,211.61	(-)26
			1,946.40			**1,946.40**	
4402-	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	8.50	16.10	-	5.29	21.38 $	(-)38
			390.95			**390.95**	
4403-	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	124.39	293.91	-	110.81	404.72	(-)11
			371.43			**371.43**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
				(₹ करोड़ में)			
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
4404-	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			11.56			**11.56**	
4405-	मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	31.17	72.78	-	12.61	85.39	(-)60
			222.30			**222.30**	
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	127.85	288.94	-	76.20	365.14	(-)40
			933.44			**933.44**	
4408-	खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	109.25	338.43	-	73.54	411.97	(-)33
			3,267.49			**3,267.49**	
4415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	22.09	54.70	-	35.04	89.74	(+)59
			336.08			**336.08**	
4416-	कृषिगत वित्तीय संस्थानों में निवेश	-	-	-	-	-	-
			#			**#**	
4425-	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	10.13	21.63	-	2.90	24.53	(-)71
			401.61			**401.61**	

(#) नगण्य ₹ 0.40 लाख मात्र।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
4435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			4.07			**4.07**	
	कुल-ग(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	796.24	2,027.86	-	586.63	2,614.49	(-)26
			7,885.33			**7,885.33**	
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(ख) ग्रामीण विकास का पूँजागत लेखा-						
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,267.65	3,974.65	-	2,436.39	6,411.03 $	(+)92
			10,259.36			**10,259.36**	
	कुल-ग (ख)-ग्रामीण विकास का पूँजागत लेखा	1,267.65	3,974.65	-	2,436.39	6,411.04	(+)92
			10,259.36			**10,259.36**	
	(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-						
4575-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			3,688.82			**3,688.82**	
	कुल-ग(ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	-	-	-	-	-	-
			3,688.82			**3,688.82**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-						
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	16.71	31.67	-	28.61	60.28	(+)71
			1,257.66			**1,257.66**	
4702-	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	62.64	159.90	-	39.91	199.81	(-)36
			2,060.63			**2,060.63**	
4705-	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	17.15	37.52	-	19.71	57.24 $	(+)15
			322.06			**322.06**	
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	45.87	202.54	-	170.16	372.70	*
			1,696.00			**1,696.00**	
	कुल-ग(घ)-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	142.37	431.63	-	258.39	690.02	(+)81
			5,336.35			**5,336.35**	
	(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-						
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,230.00	2,004.78	-	722.46	2,727.24	(-)41
			14,212.80			**14,212.80**	
	कुल-ग(ङ)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	1,230.00	2,004.78	-	722.46	2,727.24	(-)41
			14,212.80			**14,212.80** (क)	

(क) *सरकार द्वारा सूचित पिछले त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को ठीक करने के कारण 31 मार्च 2013 तक शेष में ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि का प्रोफॉर्मा कम किया गया।*

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-						
4851-	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	125.31	417.35	-	95.67	513.02	(-)24
			1,818.59			**1,818.59**	
4852-	लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2.71	10.80	-	4.29	15.09	(+)58
			209.24			**209.24**	
4853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1.20	5.41	-	0.97	6.38	(-)20
			77.70			**77.70**	
4854-	सीमेन्ट और अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			0.24			**0.24**	
4858-	अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			1.25			**1.25**	
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			31.34			**31.34**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			0.06			**0.06**	
4885-	उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			42.73			**42.73**	
	कुल-ग(च)-उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा	129.22	433.56	-	100.93	534.49	(-)22
			2,181.15			**2,181.15**	
	(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-						
5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	2,612.67	5,758.10	-	2,091.39	7,849.50 $	(-)20
			13,708.19			**13,708.19**	
5055-	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	54.90	197.69	-	2.72	200.41	(-)95
			263.25			**263.25**	
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			27.74			**27.74**	
	कुल-ग(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा	2,667.57	5,955.79	-	2,094.11	8,049.90	(-)21
			13,999.18			**13,999.18**	

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)						
	(ज) संचार का पूँजीगत लेखा-						
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			0.02			**0.02**	
	कुल-ग(ज)-संचार का पूँजीगत लेखा	-	-	-	-	-	-
			0.02			**0.02**	
	(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-						
5425-	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	52.61	79.62	-	37.17	116.79	(-)29
			159.34			**159.34**	
	कुल-ग(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा	52.61	79.62	-	37.17	116.79	(-)29
			159.34			**159.34**	
	(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						
5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	133.97	313.92	-	167.94	481.86	(+)25
			2,284.78			**2,284.78**	
5465-	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-	-	-
			608.19			**608.19** (ख)	

(ख) राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत विनिवेश के कारण 31 मार्च 2010 तक शेष में ₹ 28.10 करोड़ की राशि का प्रोफार्मा कम किया गया।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)				
	ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
	(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)						
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,245.77	2,840.84	-	557.98	3,398.83 $	(-)55
			5,496.23			**5,496.23**	
	कुल-ग(ञ)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	1,379.74	3,154.76	-	725.92	3,880.68	(-)47
			8,389.20			**8,389.20**	
	कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	7,665.40	18,062.66	-	6,961.98	25,024.64	(-)09
			66,111.55			**66,111.55**	
	कुल योग	11,047.04	26,939.61	-	10,773.78	37,713.39	(-)02
			1,03,000.76			**1,03,000.76** (ग)	

(ग) *पूँजीगत विनिवेश और पिछले गलत वर्गीकरण के कारण वर्ष के अंत तक खर्च से प्रोफॉर्मा घटाकर क्रमशः ₹ 28.10 करोड़ और ₹ 167.00 करोड़ की राशि को कम कर दिया गया है। इस विवरण हेतु कृपया मुख्य शीर्ष 5465 और 4801 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (क) और (ख) का भी संदर्भ लें।*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(i) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूंजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 224.85 करोड़, ₹ 573.01 करोड़ और ₹ 349.47 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक ₹ 4,620.16 करोड़ का निवेश भी था, जिसे नए आनुक्रमिक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना बाकी है। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सरकारी लेखे में कोई लाभांश जमा नहीं किया था। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के पैरा 3 (viii) (क), (ख) का भी संदर्भ लें।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(समाप्त)

नवीनतम प्रोफार्मा लेखा द्वारा प्रकटित लेखा के पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के कामकाज के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:-

प्रोफॉर्मा लेखा- प्रत्येक उपक्रम के सामने दर्शायी गयी अवधियों के लिए विभागीय अधिकारियों से अभी तक (जुलाई 2023) निम्न उल्लिखित उपक्रमों के अंतर्गत प्रोफॉर्मा लेखा अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं-

लेखा का मुख्य शीर्ष		उपक्रम का नाम	जिस अवधि लिए देय है
4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1	सरकारी मुद्रणालय, श्रीनगर	1968-69 और (जुलाई 2023) उसके बाद
	2	सरकारी मुद्रणालय, जम्मू	1968-69 और (जुलाई 2023) उसके बाद
4408- खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	1	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, श्रीनगर	1975-76 (परिशोधित लेखा) और (जुलाई 2023) उसके बाद
	2	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, जम्मू	1973-74 से 1997-98 और 1999-2000 और उसके बाद। तथापि, वर्ष 1998-99 के प्रोफॉर्मा लेखाओं को वर्ष 2002-03 (जुलाई 2023) के दौरान अंतिम रूप दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2023 को शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	*प्रतिशत*	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
क लोक ऋण-								
				(₹ करोड़ में)				
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण[1]	19,306.08	-	38,114.48	33,946.92	23,473.64	(+)4,167.57	(+)22	(+)69
	45,429.09				**45,429.09**			
बाजार ऋण	15,022.22	-	8,473.00	2,150.01	21,345.21	(+)6,323.00	(+)42	(+)63
	34,290.80				**34,290.80**			
डब्ल्यूएमए[2]	499.54	-	28,960.73	30,036.34	(-)576.07	(-)1,075.61	$	(-)02
	692.11				**692.11**			
बंधपत्र	(-)214.00	-	-	353.76	(-)567.76 #	(-)353.76	$	(-)02
	3,537.55				**3,537.55**			
वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)87.73	-	680.75	558.16	(-)34.86 #	(+)52.87	(+)60	^
	3,538.31				**3,538.31**			
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	4,086.05	-	-	848.65	3,237.40	(-)848.64	(-)21	(+)10
	3,370.32				**3,370.32**			

[1] *ब्योरे विवरण सं. 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।*

[2] *डब्ल्यूएमए: अर्थोपाय अग्रिम*

(#) *30.10.2019 (पुनर्गठन पूर्व) को गैर-प्रभाजन के कारण पूरे विवरण में ऋणात्मक शेष*

($) *पूरे विवरण में 100 प्रति शत से अधिक*

(^)*विवरण में नगण्य*

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	**1 अप्रैल 2022 को शेष**	**संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान**	**31 मार्च 2023 को शेष**	**वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)**	***प्रतिशत***	**कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में**
क लोक ऋण-(समाप्त)								
			(₹ करोड़ में)					
6004 केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	5,831.75	-	-	120.01	5,711.74	(-)120.00	(-)02	(+)17
	1,237.13			-	**1,237.13**			
गैर योजना ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	96.29				**96.29**			
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए ऋण	(-)293.73			118.74	(-)412.46 #	(-)118.73	(-)40	(-)01
	1,055.02				**1,055.02**			
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	- -	-	-	-	-	-
अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	47.04	-	-	-	**47.04**	-	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र हेतु अन्य ऋण	6,125.47	-	-	1.27	6,124.20	(-)1.27	^	(+)18
	38.78				**38.78**			
कुल लोक ऋण	25,137.83	-	38,114.48	34,066.93 **	29,185.38 @	(+)4,048.77	(+)16	(+)86
	46,666.22				**46,666.22**			

(**) *विवरण संख्या 2 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता*

(@) *विवरण संख्या 1 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.2 करोड़ की भिन्नता*

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण -(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2023 को शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	*प्रतिशत*	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
				(₹ करोड़ में)				
ख अन्य देयताएं-								
लोक लेखा-								
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,591.41	-	6,062.49	6,636.19 [$]	1,017.71 [$]	(-)573.70	(-)36	(+)03
	27,161.62				**25,735.23** [#]			
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	873.86	-	381.83	71.70	1,183.99 [**]	(+)310.13	(+)35	(+)03
	1,260.62				**1,260.62**			
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	46.27	-	70.61 [**]	5.14	111.74 [**]	(+)65.47	$	^
	1,533.95				**1,533.95**			
ब्याज वहन करने वाली जमाएं	495.51	-	1,787.69	1,781.42	501.79	(+)6.27	(+)01	(+)01
	53.67				**53.67**			
ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	1,190.52	-	2,825.18	2,124.40 [^]	1,891.30 [^]	(+)700.78	(+)59	(+)06
	6,860.56				**6,800.82** [^^]			
कुल अन्य देयताएं	4,197.58	-	11,127.80	10,618.85 [##]	4,706.53 [##]	(+)508.95	(+)12	(+)14
	36,870.42				**35,384.29** [$$]			
कुल लोक ऋण और अन्य देयताएं	29,335.41	-	49,242.28	44,685.78 [##]	33,891.91 [(ए)]	(+)4,556.50	(+)16	(+)100
	83,536.64				**82,050.51** [$$]			

ऋण परिशोधन प्रबंधों, ऋण सेवा इत्यादि व्याख्यात्मक नोट को इस विवरण के पृष्ठ संख्या 34,35 तथा 36 पर देखा जा सकता है।

(ए) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 17 (₹ 33,89,193.03 लाख) में अपनाए गए आँकड़ों से ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता है। आगे, भारत सरकार द्वारा जीएसटी प्रतिकर के बदले में एक के बाद एक मोचित ऋणों के रूप में ₹ 5,945.29 करोड़ सम्मिलित है।

(**) विवरण संख्या 1 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

(#) इसमें 30.10.2019 (पूर्व पुनर्गठन) तक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) देयताओं को प्रभाजन के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,426.39 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है।

($) इसमें 30.10.2019 (पूर्व पुनर्गठन) तक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) देयताओं को प्रभाजन के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,426.39 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

(^) इसमें 30.10.2019 (पूर्व पुनर्गठन) तक ठेकेदारों की जमा देयताओं को प्रभाजन के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 59.74 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

(^^) इसमें 30.10.2019 (पूर्व पुनर्गठन) तक ठेकेदारों की जमा देयताओं को प्रभाजन के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 59.74 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है।

(##) इसमें 30.10.2019 (पूर्व पुनर्गठन) तक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) एवं ठेकेदार जमा देनदारियों को प्रभाजन के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,486.13 करोड़ राशि सम्मिलित है।

($$) इसमें 30.10.2019 (पूर्व पुनर्गठन) तक जीपीएफ, एसएलआई और जमा देनदारियों को प्रभाजन के कारण संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित की गई ₹ 1,486.13 करोड़ राशि सम्मिलित नहीं है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 **परिशोधन व्यवस्थाएं -**

सरकार ने भारत सरकार से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई परिशोधन व्यवस्था नहीं बनायी है।

2 **लघु बचत कोष से ऋण -**

डाकघरों में "लघु बचत योजनाओं" और "लोक भविष्य निधि" में संग्रहण में से ऋणों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। लघु बचत संग्रहणों से ऋण जारी करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि अर्थात् "राष्ट्रीय लघु बचत कोष" बनाया गया था। 30 अक्टूबर 2019 के अंत में तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित बकाया शेष ₹ 3,370.32 करोड़ था जिसे अभी भी उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है और इसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य जम्मू एवं कश्मीर द्वारा शून्य राशि प्राप्त की गयी, तथापि, सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023 (पुनर्गठन पश्चात) की अवधि हेतु निधि के अन्तर्गत ₹ 3,237.40 करोड़ का शेष छोड़ते हुए इस अवधि के दौरान ₹ 848.65 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया।

3 **भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:-**

विवरण संख्या 17 में ब्यौरा दिया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार को चुकाने के लिए ₹ 166.34 करोड़ (मूलधन ₹120.01 करोड़ और ब्याज ₹ 46.33 करोड़) की राशि देय है। ₹ 166.34 करोड़ की कुल राशि के प्रति, पूरी राशि (मूलधन ₹ 120.01 करोड़ और ब्याज ₹ 46.33 करोड़) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान सीधे वसूली के रूप में समायोजित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2022-23 (31.03.2023 को समाप्त) के अंत में केन्द्र सरकार से ऋणों पर कोई राशि अतिदेय नहीं थी।

4 **संघ राज्य क्षेत्र सरकार का आंतरिक ऋण :- इसमें खुले बाजार से लिये गये दीर्घकालिक ऋण, स्वायत्त निकायों से सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन अंतराल और ऋणों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्रकार की उधारी सम्मिलित है।**

(i) खुला बाजार ऋण:- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये सभी ऋण जिनका चलन एक वर्ष से अधिक है, ऋण की इस श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किये जाते हैं।

(ii) विभिन्न बकाया ऋणों का पूरा ब्योरा विवरण संख्या 17 और विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

5 ऋण-सेवा-

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- वर्ष 2021-22 और 2022-23 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार रहीं

		2022-23 (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	**2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति)**	**वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)**
				(₹ करोड़ में)
(i) वर्ष के अंत में सकल ऋण और अन्य बकाया देयताएं-				
(क) सार्वजनिक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि		30,203.09	26,729.24	(+)3,473.85
		72,401.45	**73,827.84**	
(ख) अन्य देयताएं		3,688.82	2,606.17	(+)1,082.65
		9,649.06	**9,708.80**	
		33,891.91	29,335.41	(+)4,556.50
	कुल (i)	**82,050.51**	**83,536.64**	
(ii) **सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज-**				
(क) लोक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि पर		8,183.99	7,096.09	(+)1,087.90.
(ख) अन्य देयताओं पर		309.83	264.22	(+)45.61
	कुल (ii)	8,493.82	7,360.31	(+)1,133.51
(iii) **कटौती-**				
(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		0.38	0.13	(+)0.25
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूला गया ब्याज		0.03	-	(+)0.03
	कुल (iii)	0.41	0.13	(+)0.28
(iv) **निवल ब्याज प्रभार**		8,493.41	7,360.18	(+)1,133.23

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण- (समाप्त)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

5 ऋण-सेवा- (समाप्त)

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 2021-22 एवं 2022-23 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

	2022-23 (31 मार्च 2023 की समाप्ति)	**2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति)**	**वर्ष 2022-23 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)**
	(₹ करोड़ में)		
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (ii)} का प्रतिशत	12.31	12.42	(-)0.11
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (iv)} का प्रतिशत	12.31	12.42	(-)0.11

इसके अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य जैसों से प्राप्त कुल ₹ 18.38 करोड़ ब्याज की कुछ अन्य प्राप्तियाँ और समायोजन भी थे। यदि इनकी भी कटौती की जाती है, तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 8,475.03 करोड़ होगा जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.29 *प्रतिशत* है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर शून्य लाभांश प्राप्त हुआ।

6 ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग

सरकार ने 2011-12 से ऋण शोधन निधि की स्थापना की और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 58.91 करोड़ की राशि इस निधि में हस्तांतरित की गयी है।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण

अनुभाग:1 ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार

(**बोल्ड** में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-								
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-	-
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल- सामान्य सेवाएं	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समाज सेवाएं-								
विश्वविद्यालय/ अकादमिक संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	**-**	-	
	12.74	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.74**	**-**	सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)
शहरी विकास प्राधिकरण	-					**-**		
	1.91	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.91**	**-**	
आवास बोर्ड	-					**-**		
	2.90	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.90**	**-**	
राज्य आवास निगम	-							
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-	
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	

(1) *ब्यौरे हेतु कृपया खण्ड II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

(क) *विवरण में बकायों में पुनर्भुगतान का ब्यौरा सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2023) है।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**1 अप्रैल 2022 को शेष**	**संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**वर्ष के दौरान संवितरण**	**वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2023 को शेष (2+4)-(5+6)**	**वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
				(₹ करोड़ में)				
सामाजिक सेवाएं- (समाप्त)								
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य	0.32	-	-	0.49	-	(-)0.17	(-)0.49	
	128.93					**128.93**		
कुल- सामाजिक सेवाएं	0.32	-	-	0.49	-	(-)0.17	(-)0.49	
	146.48					**146.48**		
आर्थिक सेवाएं-								
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	
	0.01					**0.01**		
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	-	
	-					**-**		सरकार से
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-	-	सूचना
	-					**-**		प्रतीक्षित
सांविधिक निगम	95.50	-	7.50	-	-	103.00	(+)7.50	(जुलाई 2023)
	411.23					**411.23**		
सरकारी कंपनियाँ	73.89	-	52.03	0.01	-	125.91	(+)52.02	
	495.80					**495.80**	**-**	

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(₹ करोड़ में)			
आर्थिक सेवाएं- (समाप्त)								
सहकारी समितियाँ/ सहकारी	-	-	-	-	-	-	-	
	9.77					**9.77**		
अन्य	(-)0.05	-	-		0.02	(-)0.07	(-)0.02	सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)
	655.58					**655.58**		
कुल- आर्थिक सेवाएं	169.34	-	59.53	0.03	-	228.84	(+)59.50	
	1,572.39					**1,572.39**		
सरकारी सेवक-								
सरकारी सेवक	(-)1.40	-	-	0.81	-	(-)2.21	(-)0.81	
	21.57					**21.57**		
कुल- सरकारी सेवक	(-)1.40	-	-	0.81	-	(-)2.21	(-)0.81	
	21.57					**21.57**		
कुल- ऋण और अग्रिम	168.26	-	59.53	1.33	-	226.46	(+)58.20	
	1,740.44					**1,740.44** ($)		

($) *कृपया मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 खण्ड-II के नीचे की पाद टिप्पणी 'का संदर्भ लें। मुख्य शीर्ष-4801 विवरण संख्या 16 खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(₹ करोड़ में)				

निम्नलिखित ऋण के मामले "शाश्वत रूप में ऋण" के रूप में संस्वीकृत किये गये हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणी अधिष्ठान	संस्वीकृति का वर्ष	संस्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर

सरकार से आँकड़े/ सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आवंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+4)-(5+6)	2022-23 के दौरान वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(₹ करोड़ में)				
च - ऋण और अग्रिम-[1]								
ख- सामाजिक सेवा हेतु ऋण-								
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	(-)0.26	-	-	0.09	-	(-)0.35	(-)0.09	
	5.46					**5.46**		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(-)0.07	-	-	0.02	-	(-)0.09	(-)0.02	
	1.93					**1.93**		
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	(-)0.02	-	-		-	(-)0.02		
	35.30					**35.30**		सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	
	0.13					**0.13**		
सामाजिक कल्याण और पोषण	0.67	-	-	0.38	-	0.29	(-)0.38	
	103.53					**103.53**		
अन्य सामाजिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	
	0.13					**0.13**		
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
कृषि और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	(-)0.05	-	-	0.02	-	(-)0.07	(-)0.02	
	40.65					**40.65**		

[1] *ब्योरे के लिए विस्तृत विवरण संख्या 18 खण्ड-II के भाग 1 का संदर्भ लें।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को शेष	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आवंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष (2+4)-(5+6)	2022-23 के दौरान वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(₹करोड़ में)				
च - ऋण और अग्रिम-(समाप्त)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
ग्रामीण विकास हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	0.05					**0.05**		
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	
	1.43					**1.43**		सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023)
ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	
	85.05					**85.05**		
उद्योग और खनिजों हेतु ऋण	73.89	-	52.03	0.01	-	125.91	(+)52.02	
	799.63					**799.63**		
परिवहन	95.50	-	7.50	-	-	103.00	(+)7.50	
	610.62					**610.62**		
सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	
	34.96					**34.96**		
सरकारी सेवक	(-)1.40	-	-	0.81	-	(-)2.21	(-)0.81	
	21.57					**21.57**		
कुल	168.26	-	59.53	1.33	-	226.46	(+)58.21	
	1,740.44					**1,740.44**		

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग: 3 ऋणों और अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार					
ऋणी-अधिष्ठान	**31 मार्च 2023 को बकायों की राशि**			**पूर्व अवधि जिससे बकाया संबंधित है**	**31 मार्च 2023 को अधिष्ठान के प्रति कुल बकाया ऋण**
	मूलधन	**ब्याज**	**कुल**		

(₹ करोड़ में)

सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण-(समाप्त)

अनुभाग: 3 ऋणदाता अधिष्ठान से बकायों में चुकौती का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(क) कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार ऋण लेखे:- सरकारी सेवकों को दिये गये ऋणों के संबंध में, जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, 2022-23 (31 मार्च 2023 की समाप्ति) के अंत में कुल मूलधन ₹ 11.54 करोड़ के रूप में बकाया था, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	**लेखा शीर्ष**	**31.03.2023 को बकाया (₹ करोड़ में)**	
		मूलधन	**ब्याज**
1	7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि		
	201- गृह निर्माण अग्रिम (क)	-	-
		10.51	**0.39**
	202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	-	-
		1.03	**0.04**
	कुल	**-**	**-**
		11.54	**0.43**

(क) *आवास निर्माण अग्रिमों के ब्यौरेवार लेखे प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में रखे जाते हैं, हालांकि निम्न/ मध्यम आय समूह आवास योजनाओं हेतु ऋणों के ब्यौरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।*

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेशों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समुद्यम का नाम (क)	2022-23 (31-03-2023 की समाप्ति)			2021-22 (31-03-2022 की समाप्ति)		
		समुद्यमों की संख्या	31 मार्च 2023 के अंत में निवेश	2022-23 के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश	समुद्यमों के संख्या	31 मार्च 2022 के अंत में निवेश	2021-22 के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश
1	सांविधिक निगम	2	193.91	शून्य	2	191.90	शून्य
		3	**368.31**		**3**	**368.31**	
2	ग्रामीण बैंक	2	17.32	शून्य	2	2.35	शून्य
		2	**45.82**		**2**	**45.82**	
3	सरकारी कंपनियाँ	40 (ख)	860.51 (ग)	शून्य	39	445.03	शून्य
		37	**4,157.86**		**37**	**4,157.86**	
4	अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी	2	-	शून्य	2	-	शून्य
		2	**0.34**		**2**	**0.34**	
5	सहकारी बैंक और समितियां	8	239.85	शून्य	8	239.85	शून्य
		8	**47.83**		**8**	**47.83**	
	कुल	54	1,311.59 (ग)(घ)	शून्य	53	879.13	शून्य
		52	**4,620.16** (घ)		**52**	**4,620.16**	

(क) *कृपया ब्यौरे हेतु कृपया खण्ड-II में विवरण सं 19 का संदर्भ लें।*

(ख) *वर्ष 2021-22 के दौरान रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर निगम लिमिटेड को निगमित किया गया लेकिन निगम द्वारा 2022-23 के दौरान आंकड़े सूचित किए हैं।*

(ग) *इसमें जे एण्ड के उद्यमिता विकास निगम (जे एण्ड के एनटरपेंयोरशिप डेवेलोपमेंट कॉरपोरेशन) (₹ 33.98 करोड़) और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर निगम लिमिटेड (₹ 49.00 करोड़) द्वारा मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के नवीनतम आंकड़ों के प्रदान करने के कारण ₹ 82.98 करोड़ शामिल हैं।*

(घ) *यह आंकड़े सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलान के अधीन हैं (जुलाई 2023)*

9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

क. वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उठाये गये एवं ऋणों इत्यादि के पुनर्भुगतान हेतु संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रकों में 31 मार्च 2023 को बकाया प्रत्याभूतित राशियाँ नीचे दी गयी हैं:-

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम राशि		1 अपैल 2022 के आरंभ में बकाया		वर्ष के दौरान अतिरिक्त		वर्ष के दौरान लोप		वर्ष के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2023 के अंत में बकाया (क)		प्रत्याभूति कमीशन या शुल्क (ख)		अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
1	विद्युत (3)*	32,088.72	-	11,531.66	-	11,291.79	-	309.84	-	-	-	22,513.61	-	-	-	-
		653.70		**229.31**								**229.31**				
2	सहकारी (6)*	-	-	(-)4.00 #	-	(-)28.00	-	-	-	-	-	(-)32.00 #	-	-	-	-
		102.16		**35.37**								**35.37**				
3	राज्य वित्तीय निगम (1)*	12.00	-	(-)0.08 #	-	21.75	0.50	8.01	-	-	-	13.66	0.50	-	-	-
		50.00		**45.03**								**45.03**				
4	अन्य संस्थान (9)*	2,732.15	-	801.22	-	1,616.23	-	45.28	-	-	-	2,372.17	-	-	-	-
		151.12		**142.94**	**1.65**							**142.94**	**1.65**			
5	कुल (19)*	34,832.87	-	12,328.80	-	12,901.77	0.50	363.13	-	-	-	24,867.44 (ग)	0.50	-	-	-
		956.98		**452.65**	**1.65**							**452.65**	**1.65**			

(*) *कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े सस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।*

(क) *जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र के बजट 2022-23 में दिखाया गया है, 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर बकाया प्रतिभूति की राशि विवरण में दर्शाई गई राशि से भिन्न है। आंकड़ें का मिलान के अधीन है (जुलाई 2023)।*

(ख) *वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र सरकार से कोई कमीशन फीस प्राप्त नहीं की गई है*

(ग) *विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरण संख्या 20 का खंड II का संदर्भ लें।*

(#) *पुनर्गठन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों के गैर-प्रभाजन के कारण ऋणात्मक शेष होता है।*

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(i) रोकड़ में प्रदत्त सहायता-अनुदान

अनुदानग्राही का नाम/ श्रेणी		अनुदान सहायता के रूप में निर्मोचित कुल निधियाँ			कॉलम (नंबर 2) # में दर्शायी गयी कुल निर्गत निधियों में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियाँ		
		2022-23			2022-23		
		संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	संघ राज्य क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल
1		2			3		
							(₹ करोड़ में)
1	**शहरी स्थानीय निकाय-**						
(i)	नगर निगम	819.87	-	819.87	-	-	-
(ii)	नगर पालिकायें/ नगर परिषद	-	-	-	-	-	-
(iii)	अन्य	330.66	-	330.66	-	-	-
2	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम -**						
(i)	सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-
(ii)	सांविधिक निगम	1,286.88	-	1,286.88	-	-	-
3	**स्वायत्त निकाय-**						
(i)	विश्वविद्यालय	1,093.01	-	1,093.01	-	-	-
(ii)	विकास प्राधिकरण	77.92	-	77.92	-	-	-
(iii)	सहकारी संस्थान	28.50	-	28.50	-	-	-
(iv)	अन्य	134.42	1.58	136.00	-	-	-
4	**गैर-सरकारी संगठन**	60.15	-	60.15	-	-	-
5	**अन्य**	432.77	2,014.75	2,447.52	-	-	-
	कुल	**4,264.18**	**2,016.33**	**6,280.51** $	**-**	**-**	**-**

 # सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023) है।

$ पूँजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 191.10 करोड़ सम्मिलित हैं। कृपया " वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के पैरा 3 (ii) का संदर्भ लें।

(ii) विभिन्न रूप से दिया गया सहायता अनुदान

विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदान के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2023) है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक			वास्तविक		
	2022-23			2021-22		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	8,579.89	54,419.45	62,999.34	7,441.87	51,827.46	59,269.33
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-	10,773.78	10,773.78	-	11,047.04	11,047.04
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अंतर्राज्यीय निपटारा और आकस्मिकता निधि में अंतरण (क)	34,066.91	59.53	34,126.44	41,575.17	73.77	41,648.94
कुल	**42,646.80**	**65,252.76**	**1,07,899.56**	**49,017.04**	**62,948.27**	**1,11,965.31**
ङ. लोक ऋण-						
संघ शासित क्षेत्र सरकार का आंतरिक ऋण	33,946.90	-	33,946.90	41,455.99	-	41,455.99
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	120.01	-	120.01	119.18	-	119.18
च. ऋण और अग्रिम-						
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-
समाज सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	-	59.53	59.53	-	73.77	73.77
सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि	-	-	-	-	-	-
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-

(क) विस्तृत लेखा खण्ड-II के विवरण संख्या 17 और 18 में दिया गया है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण-(समाप्त)

विवरण	वास्तविक			वास्तविक		
	2022-23			2021-22		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
झ. अंतर्राज्यीय निपटारा-						
अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-
ज. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण-						
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण	-	-		-	-	

(i) 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान कुल व्यय के लिए दत्तमत व्यय और प्रभारित व्यय का प्रतिशत इस प्रकार था :-

कुल व्यय का प्रतिशत

वर्ष	प्रभारित	दत्तमत
2021-22	43.78	56.22
2022-23	39.52	60.48

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2022-23	31 मार्च 2023 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
लोक निर्माण	1,513.58	-	887.40	2,400.98
	6,153.33			**6,153.33**
अन्य सामान्य सेवाएं	655.25	-	210.98	866.23
	1,663.49			**1,663.49**
सामाजिक सेवाएं-				
शिक्षा खेल, कला और संस्कृति	1,416.89	-	851.87	2,268.76
	6,982.53			**6,982.53**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,562.87	-	365.76	1,928.63
	4,914.19			**4,914.19**
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,400.60	-	989.39	3,389.99
	13,315.73			**13,315.73**
सूचना एवं प्रसारण	1.01	-	0.04	1.05
	33.49			**33.49**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	173.00	-	100.92	273.92
	305.38			**305.38**
सामाजिक कल्याण और पोषण	1,115.85	-	387.72	1,503.57
	3,148.46			**3,148.46**
अन्य सामाजिक सेवाएं	37.90	-	17.72	55.62
	372.61			**372.61**
कुल- सामाजिक सेवाएं	6,708.11	-	2,713.42	9,421.53
	29,072.39			**29,072.39**

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2022-23	31 मार्च 2023 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2,027.86	-	586.63	2,614.49
	7,885.33			**7,885.33**
ग्रामीण विकास	3,974.65	-	2,436.39	6,411.04
	10,259.36			**10,259.36**
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
	3,688.82			**3,688.82**
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	431.63	-	258.39	690.02
	5,336.35			**5,336.35**
ऊर्जा	2,004.78	-	722.46	2,727.24
	14,212.80			**14,212.80** (क)
उद्योग और खनिज	433.56	-	100.93	534.49
	2,181.15			**2,181.15**
परिवहन	5,955.79	-	2,094.11	8,049.90
	13,999.18			**13,999.18**
संचार	-	-	-	-
	0.02			**0.02**
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	79.62	-	37.17	116.79
	159.34			**159.34**

(क) *कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्षों 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।*

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2022-23	31 मार्च 2023 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय- (समाप्त)				
आर्थिक सेवाएं- (समाप्त)				
सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,154.76	-	725.92	3,880.68
	8,389.20			**8,389.20** (क)
कुल- आर्थिक सेवाएं	18,062.66	-	6,961.98	25,024.64
	66,111.55			**66,111.55** (क)
कुल-पूँजीगत सेवाएं	26,939.61	-	10,773.78	37,713.39
	1,03,000.76			**1,03,000.76** (क)
ऋण और अग्रिम-				
सामाजिक सेवाएं-				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	(-)0.26	-	(-)0.09	(-)0.35 *
	5.46			**5.46**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(-)0.07	-	(-)0.02	(-)0.09 *
	1.93			**1.93**
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	(-)0.02	-		(-)0.02 *
	35.30			**35.30**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-
	0.13			**0.13**

(क) *कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्षों 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।*

(*) *पुनर्गठन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों के गैर-प्रभाजन के कारण ऋणात्मक शेष होता है।*

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2022-23	31 मार्च 2023 को
				(₹ करोड़ में)
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
सामाजिक सेवाएं-(समाप्त)				
सामाजिक कल्याण और पोषण	0.67	-	(-)0.38	0.29
	103.53			**103.53**
अन्य सामाजिक सेवाएं	-	-	-	-
	0.13			**0.13**
कुल- सामाजिक सेवाएं	0.32	-	(-)0.49	(-)0.17 *
	146.48			**146.48**
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	(-)0.05	-	0.02	(-)0.07 *
	40.65			**40.65**
ग्रामीण विकास	-	-	-	-
	0.05			**0.05**
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
	1.43			**1.43**
ऊर्जा	-	-	-	-
	85.05			**85.05** (ख)
उद्योग और खनिज	73.89	-	52.02	125.91
	799.63			**799.63**
परिवहन	95.50	-	7.50	103.00
	610.62			**610.62**

(ख) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	**संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**वर्ष के दौरान 2022-23**	**31 मार्च 2023 को**
				(₹ करोड़ में)
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)				
सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-
	34.96			**34.96**
कुल- आर्थिक सेवाएं	169.34	-	59.50	228.84
	1,572.39			**1,572.39**
सरकारी सेवकों को ऋण	(-)1.40	-	(-)0.81	(-)2.21 *
	21.57			**21.57**
कुल-ऋण और अग्रिम	168.26	-	58.20	226.46
	1,740.44			**1,740.44** (ख)
आकस्मिकता निधि में अंतरण	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल-पूँजीगत और अन्य व्यय	27,107.87	-	10,831.98	37,939.85
	1,04,741.20			**1,04,741.20**
कटौती				
आकस्मिकता निधि से अंशदान				
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	-	-	-	-
	28.10			**28.10**
विकास निधियों, आरक्षित निधियों इत्यादि से अंशदान	-	-	-	-
निवल- पूँजीगत और अन्य व्यय	27,107.87	-	10,831.98	37,939.85
	1,04,713.10			**1,04,713.10**

(ख) *कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।*

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	**संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**वर्ष के दौरान 2022-23**	**31 मार्च 2023 को**
				(₹ करोड़ में)
निधियों के प्रधान स्रोत-				
2022-23 हेतु राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)			5,976.63 #	
जोड़-सेवानिवृत्ति/ विनिवेश के कारण समायोजन	-	-	**-**	-
	(-)28.10			**(-)28.10**
ऋण-				
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	19,306.07	-	4,167.59	23,473.66
	45,429.09			**45,429.09**
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	5,831.74	-	(-)120.01	5,711.74
	1,237.13			**1,237.13**
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,591.41	-	(-)573.71	1,017.70
	27,161.62			**25,735.23**
कुल- ऋण	26,729.22	-	3,473.87	30,203.10
	73,827.84			**72,401.45**
अन्य देयताएं-				
आकस्मिकता निधि	25.00	-	-	25.00
	1.00			**1.00**
आरक्षित निधियाँ	920.13	-	375.61	1,295.74
	2,805.43			**2,805.43**
जमाएं एवं अग्रिम	1,686.03	-	707.06	2,393.09
	6,901.54			**6,841.80**

12. राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2022	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2022-23	31 मार्च 2023 को
				(₹ करोड़ में)
निधियों के प्रधान स्रोत- (समाप्त)				
अन्य देयताएं- (समाप्त)				
उचंत और विविध (सरकारी लेखाओं और रोकड़ शेष निवेश लेखा में संवृत राशि के अलावा)	249.38	-	288.85	538.23
	(-)349.24			**(-)349.24**
प्रेषण	(-)698.32	-	10.65	(-)687.67
	2,847.49			**2,847.49**
कुल- अन्य देयताएं	2,182.22	-	1,382.17	3,564.39
	12,206.22			**12,146.48**
कुल- ऋण और अन्य देयताएं	28,911.45	-	4,856.04	33,767.49
	86,034.06			**84,547.93**
कटौती- रोकड़ शेष	1,447.65	-	0.66	1,448.31
	(-)441.95			**(-)441.95**
कटौती- निवेश	-	-	-	-
	394.78			**394.78**
वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी खाते में बंद की गई अतिरिक्त राशि				
	-			**-**
निधियों का निवल प्रावधान	27,463.83	-	10,831.98	32,319.18 $
	86,053.13			**84,567.00**

$ ₹ 38,295.81 करोड़ (₹ 27,463.83 करोड़ जमा ₹ 10,831.98 करोड़) ₹ 32,319.18 करोड़ से ₹ 5,976.63 करोड़ के राजस्व अधिशेष से भिन्न है, जो कि विवरण संख्या 2 में मशीनी पूर्णांकन के कारण दर्शाए गए ₹ 0.02 से भिन्न है ।

(₹ 5,976.63 करोड़ राजस्व अधिशेष)। मार्च 2023 की समाप्ति तक पूंजीगत और अन्य व्यय और निधियों का निवल प्रावधान के मध्य ₹ 5,620.67 करोड़ का अंतर भी था जो संचयी राजस्व घाटे और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के खाते में संवृत राशि को दर्शाता है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2023 तक शेषों का सारांश है

(**बोल्ड** में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

नामे शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखा का क्षेत्रक	लेखा का नाम	खाते शेष (₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
82,854.66 [1] 32,092.75 [1]	क से घ और, थ का भाग (एमएच 8680 मात्र)	सरकारी लेखा	
	ङ	लोक ऋण	29,185.40 **46,666.22**
226.46 **1,740.44** ($)	च	ऋण और अग्रिम	
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	25.00 **1.00**
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	1,017.70 **25,735.23**
	ञ	**आरक्षित निधियाँ**	
		(i) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	
		सकल शेष	1,183.99 **1,271.48**
- **10.86** (^)		निवेश	
		(ii) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	
		सकल शेष	111.74 **1,533.95**
		निवेश	
	त	**जमाएं और अग्रिम**	
		(i) ब्याज वहन करने वाले जमा	501.79 **53.67**
		(ii) ब्याज वहन न करने वाले जमा	1,891.30 **6,800.82**
- **12.69**		(iii) अग्रिम	

[1] *कृपया खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 57 को यह समझने के लिए देखें की ये आँकड़े यहाँ किस प्रकार आये हैं।*

$ *कृपया मुख्य शीर्ष 4801 और 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

^ *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2023) है।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(जारी)

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2023 तक शेषों का सारांश है

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

नामे शेष (₹ करोड़ में)	**सामान्य लेखा का क्षेत्रक**	**लेखा का नाम**	**खाते शेष (₹ करोड़ में)**
	थ	**उचंत और विविध**	
-		निवेश	-
383.92 (^)			
-		अन्य मद (निवल)	538.23
349.24			
687.67	द	**प्रेषण**	
			2,847.49
1,448.31	ध	**रोकड़ शेष**	
(-)441.95 (*)			
34,455.19 #			34,455.15 #
84,909.86		**कुल**	**84,909.86**

^ *निवेश का ब्यौरा सरकार से प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।*

* *जैसा कि रिज़र्व बैंक में जमा राशि के संबंध में जो कि सरकार के रोकड़ शेष का घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये आँकडों और लेखाओं में प्रतिबिम्बित आँकडों में भिन्नता थी। कृपया पृष्ठ संख्या 7 के विवरण संख्या 2 के अनुलग्नक के अंतर्गत पाद टिप्पणी '@' का संदर्भ लें।*

(#) विवरण में मशीनी पूर्णांकन के अपनाए जाने के कारण ₹ 0.04 करोड़ से डेबिट तथा क्रेडिट की भिन्नता।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

ख **सरकारी लेखा:** सरकारी लेखे में अनुसरण की जाने वाली बहीखाता प्रणाली के अंतर्गत, सरकार के राजस्व, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों के अंतर्गत बुक की गयी राशि, जिसकी शेष राशि को लेखा में वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, को एक एकल शीर्ष "सरकारी लेखा" में संवृत किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष ऐसे सभी संव्यवहारों के संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इसके लिए लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं एवं अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अलावा), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के अंतर्गत शेष राशि जोड़ी जाती है और वर्ष के अंत (31 मार्च 2023) में नकद शेष को ज्ञात और प्रमाणित किया जाता है।

सारांश में अन्य शीर्षकों में सरकारी लेखाबही में सभी लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ध्यान में रखा गया है जिसके संबंध में सरकार को प्राप्त धन का भुगतान करने की देयता है या भुगतान की गयी राशि की वसूली करने का दावा है और लेखाबही में प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिए खोले गये लेखा शीर्ष भी हैं।

यह आवश्यक रूप से समझना चाहिए कि इन शेषों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो राज्य/यूटी की सभी भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार इत्यादि और न ही किसी प्रोद्भूत बकाया या किसी बकाया देयता को हिसाब में लिया जाता जिसको सरकार द्वारा अनुसरण किये जाने वाले लेखांकन के नकद आधार के अंतर्गत खाते में नहीं लाया जाता है।

वर्ष (31 मार्च 2023) के अंत में सरकारी लेखा के डेबिट पर प्राप्त हुयी निवल राशि निम्नलिखित है:

डेबिट		विवरण	क्रेडिट
(₹ करोड़ में)			**(₹ करोड़ में)**
82,854.66	क.	30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
27,295.58		31 मार्च 2022 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
-	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	68,975.95
	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
62,999.34	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
10,773.78	ङ.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
-	च.	उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे)	
-	छ.	31 मार्च 2023 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	32,092.75
	ज.	आकस्मिकता निधि को अंतरण	-
1,01,068.70		**कुल**	1,01,068.70
82,854.66			**82,854.66**

(i) कई मामलों में, अंत: शेष में असंगत असमानता हैं जैसा कि प्राप्तियाँ, संवितरण और आकस्मिकता निधि और लोक लेखा (विवरण संख्या 21) के ब्यौरे में बताया गया है और लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेखो में दर्शाया गया है। विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ii) शेषों को उनके सत्यापन और स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) जिन मामलों में शेषों की स्वीकृतियों में विलंब हुआ है और जिनमें सम्मिलित राशियाँ महत्वपूर्ण हैं, का परिशिष्ट-VII क खण्ड-II में उल्लेख किया गया है।

(iv) शेषों के मिलान से संबंधित ऐसे मामले जिनमें विवरण/ दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, का वर्णन परिशिष्ट-VII ख खण्ड-II में दिया गया है।

वर्ष 2022-23 के वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार:

(i) रिपोर्टिंग अधिष्ठान:

यह लेखे संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर को संघ राज्य-क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठन से पहले की अवधि 30 अक्टूबर 2019 तक और 31 अक्टूबर 2019 से पुनर्गठन के बाद की अवधि है।

संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को 122 राजकोषों (20 जिला राजकोषों व एक आभासी राजकोष को सम्मिलित करते हुए) द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह के आधार पर संकलित किया गया है। क्योंकि, जम्मू और कश्मीर सरकार पहले ही निर्माण और वन प्रभागों (पूर्व वर्षों में) हेतु सिविल लेखांकन प्रणाली पर अंतरण कर चुकी है, 2022-23 के दौरान इन प्रभागों से कोई मासिक लेखा देय नहीं था। वर्ष के अंत में किसी भी लेखा को अपवर्जित नहीं किया गया है। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रारम्भिक संकलन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा किया जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि:

इन लेखाओं की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है।

(iii) रिपोर्टिंग मुद्रा:

संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लेखा भारतीय रुपये (₹) में रिपोर्ट किया जाता हैं।

(iv) लेखाओं का स्वरूप:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार,संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं को नियमों द्वारा निर्धारित ऐसे स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि उप-राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह प्राप्त करने के उपरांत, निर्धारित करते हैं। धारा 71 के अनुसार "फॉर्म" शब्द का एक व्यापक अर्थ है, जिससे न केवल लेखाओं को रखने वाले व्यापक स्वरूप के निर्धारण को समाविष्ट किया जा सके, बल्कि उचित लेखा शीर्षों के चयन का आधार भी हो सके जिसके अंतर्गत संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाना है, जो लेखों के चार्ट का निर्माण करते है।

(v) बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण,प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) को वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व अनुदानों/ विनियोजनों के रूप में विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। बजट को सकल आधार पर वसूलियों तथा प्राप्तियों जिन्हें व्यय की कमी के रूप में लिए जाने की अनुमति है के बिना प्रस्तुत किया जाता है। बजट तथा लेखाओं के

शीर्षों से संबंधित सभी अनुदान/ विनियोजन,जिनके शेषों को अग्रेषित नहीं किया जाता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जाते है।

बजट एवं लेखा: संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के बजट तथा लेखा दोनों समान लेखांकन अवधि, रोकड़ आधारित लेखांकन तथा वर्गीकरण के समरूप आधार का अनुसरण करते हैं। लेखों को मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची अनुसार लघु शीर्षों के स्तर तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श सहित लेखा महानियंत्रक की अधिसूचना द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। निम्म वर्गीकृत लघु शीर्ष संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय की सहमति के अनुसार है।

बजट से तुलना दर्शाने वाले विवरण को विनियोजन लेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अनुदानों/ विनियोजनों की तुलना में वास्तविक संवितरणों को दर्शाता है।

रोकड़ आधार: लेखा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अधिकृत बही समायोजनों के अपवाद को छोड़कर वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखाओं में प्राप्तियाँ तथा संवितरण निवल आधार;निवल वसूलियों, कटौतियों तथा प्रतिदायों पर दर्शाये गये हैं।

बही समायोजन: बही समायोजन गैर-रोकड़ लेन-देन है जो लेखाओं में समायोजनों/ समाधानों के रूप में प्रकट होते है। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा सौंपने वाली इकाइयों जैसे की राजकोष,प्रभागों आदि के स्तर पर,वेतनों से कटौतियों एवं वसूलियों का समायोजन कर राजस्व प्राप्तियां/ ऋण/ लोक लेखा में समायोजन हेतु, समेकित निधि व लोक लेखा के मध्य 'शून्य' बिलों द्वारा रशियों के हस्तांतरण आदि प्रयोजनों हेतु किये जाते है।

बही समायोजन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय में भी किए जाते है। इनमें,अन्य बातों के साथ-साथ समेकित निधि को डेबिट द्वारा आरक्षित निधि/लोक लेखा (उदाहरणार्थ, राज्य आपदा मोचन निधि, ऋण शोधन निधि, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि इत्यादि) में लेखा जमा शीर्षों को क्रेडिट करना; मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान को डेबिट करते हुए एवं लोक लेखा में संबंधित मुख्य शीर्षों में क्रेडिट करते हुए सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन करना केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार की योजना, अन्तर्गत ऋण माफीका समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित हैं।

पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण: स्थायी प्रकृति (संगठन में प्रयोग हेतु तथा व्यापार की सामान्य कार्य प्रणाली में बिक्री के लिए नहीं)की मूर्त परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के उद्देश्य से या वर्तमान परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुरक्षण, मरम्मत, समारक्षण तथा कार्य के खर्चों पर अनुवर्ती प्रभार, जो कि परिसम्पत्तियों को सुचारू रुप में रखने हेतु आवश्यक है, स्थापना तथा प्रशासनिक खर्चों को सम्मिलित करते हुए संगठन के दैनिक संचालन हेतु सभी अन्य खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेखों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

भौतिक व वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ: भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जैसे कि सरकार द्वारा निवेश, ऋण तथा अग्रिम इत्यादि) के साथ-साथ देयताएँ, जैसे कि, ऋण इत्यादि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन नहीं किया गया है, तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवन काल के अंत में क्षतियों को व्यय या मान्य नहीं किया जाता है।

सहायता अनुदान: भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस) 2: लेखांकन तथा सहायता अनुदानों का वर्गीकरण,की अनुपालना में, रोकड़ में सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है यद्यपि इसमें अनुदानग्राही द्वारा परिसम्पत्तियों का सृजन सम्मिलित है, सिवाय उन मामलों में जो विशेषकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किए गए है। सभी प्राप्त अनुदानों को राजस्व प्राप्तियाँ माना जाता है। लेखांकन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विवरण तथा संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदानों के वर्गीकरण को वित्त लेखा के *विवरण 10 तथा परिशिष्ट III* में दर्शाया गया है। वस्तु रूप में दिए गए सहायता अनुदानों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

ऋण एवं अग्रिम:आईजीएएस 3 की अनुपालना में:संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा ऋण एवं अग्रिम के ब्यौरे, वित्त लेखा के *विवरण 7 तथा 18* में उद्घाटित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक के विवरणों में दर्शाए गए अंत शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को सौंपे गए लेखों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। 31 मार्च 2023 तक के *विवरण 7 व 18* में दर्शाए गए अंत शेषों का मिलान संघ राज्य-क्षेत्र के ऋणी अधिष्ठानों/ सरकार द्वारा नहीं किया गया है। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने उन ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में आँकडें प्रस्तुत नहीं किए जिसके लिए वे विस्तृत लेखों का अनुरक्षण करते हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को लेखों में प्रतिबिम्बित किया गया है, परन्तु सरकार की पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रति भविष्य पेंशन देयता *अर्थात* भूतकाल के लिए सेवानिवृत्ति के भुगतान के प्रति देयता तथा इसके कर्मचारियों की वर्तमान सेवा को लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(vi) पूर्णांकन:

विवरणों में दर्शाए गये आँकड़ों का पूर्णांकन निकटतम ₹ लाख एवं ₹ करोड़ में किया गया है। जैसाकि संबंधित विवरणों के ऊपर दर्शाया गया है।

खण्ड-I तथा खण्ड-II में क्रमश: सारांश विवरणों तथा ब्यौरेवार विवरणों के मध्य जहाँ कहीं भी 0.01/ 0.02 लाख/ करोड़ का लघु अन्तर है, वह पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष:

लेखों में रिपोर्ट की गई रोकड़ शेष संघ राज्य-क्षेत्र का शेष है जैसा कि वर्ष के 31 मार्च के अंत में संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लेखों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के लेखों में अभिलेखित किया गया है।रोकड़ शेष, वर्ष के लिए समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा संघ राज्य-क्षेत्र के लोक लेखा के संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुए शेषों को उद्घाटित करते है। बही समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करता। वित्त लेखा में रिपोर्ट किये गये रोकड़ शेष की सत्यता भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक एवं प्रतिबद्ध देयताओं का प्रकटन:

आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। आईजीएएस 1:'सरकारों द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों, की अनुपालन में क्षेत्रकवार, प्रत्याभूतियों के विवरण का उद्घाटन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वित्त लेखा के *विवरण 9 और 20* में किया गया है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं का न तो अभिलेखन किया जाता है और न ही लेखों में मान्यता दी जाती है लेकिन सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में अपनी पिछले वर्ष की प्रतिबद्धताओं का प्रकटन करती है,जिसे वित्त लेखा के *परिशिष्ट XII* के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

(ix) निकासी संव्यवहार:

संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा एकत्र की गई प्राप्तियाँ जिन्हें अन्य अधिष्ठान को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है,ऐसी निकासी संव्यवहारों का लेखों पर टिप्पणियाँ में प्रकटन किया गया है।

2. लेखांकन तंत्र का अनुपालन:

(i) मासिक खातों को बंद करने के पश्चात राजकोषों द्वारा खातों को फ्रीज न करना:

मासिक खातों को बंद करने के पश्चात राजकोषों द्वारा खातों को फ्रीज न करने से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा जमा करने के बाद डाटा के हेरफेर की संभावना हो सकती है तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय और संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के मध्य आंकड़े/ डाटा का त्रुटिपूर्ण मिलान हो सकता है। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में, मासिक खातों को बंद करने और उन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में भेजने के पश्चात एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक खातों को फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) बजट प्रावधानों के चित्रण में विसंगति एवं गलत वर्गीकरण:

जम्मू और कश्मीर सरकार ने आईजीएएस-2 के प्रावधानों के विपरीत, राजस्व खंड के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत क्रमशः तीन और एक मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान और सहायिका को बुक किया है। राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण को राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण- पैरा 3 (ii) में दर्शाया गया है।

3. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र जीएसटी संग्रह 2021-22 में ₹ 6,394.30 करोड़ की तुलना में ₹ 7,211.98 करोड़ रहा, जिसमें ₹ 817.68 करोड़ (12.79 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें आईजीएसटी का अग्रिम प्रभाजन ₹ 4,922.62 करोड़ रुपए शामिल है। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 2022-23 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 418.12 करोड़ का प्रतिकर प्राप्त हुआ।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों और राज्य जीएसटी के वित्त लेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच कोई अंतर नहीं था।

संबंधित आंकड़े वित्त लेखा के विवरण संख्या 14 में उपलब्ध हैं।

(ii) राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के मध्य में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण:

वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने राजस्व अनुभाग, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है के बजाय पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 219.13 करोड़ [सहायता अनुदान ₹ 191.10 करोड़ और सहायिकि (सब्सिडी) ₹ 28.03 करोड़] के व्यय को त्रुटिपूर्ण ढंग से बुक किया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई

आंकड़ों का संदर्भ वित्त लेखा के विवरण क्रमांक 4, 5, 15 और 16 है।

(iii) सीसीओ और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्तियों और व्यय का समाधान:

सभी नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सरकार की प्राप्तियों और व्यय का समाधान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ किया जाए। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 63,500.04 करोड़ की राशि की प्राप्तियों (₹ 68,975.95 करोड़ की कुल राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का 92.06 प्रतिशत) तथा ₹ 52,963.32 करोड़ (₹ 73,773.12 करोड़ के कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 71.79 प्रतिशत) के व्यय का मिलान संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था।

इसकी तुलना में 2021-22 अर्थात पिछले वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा ₹ 53,275.15 करोड़ (₹ 59,238.50 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 89.93 प्रतिशत) और ₹ 49,058.57 करोड़ (₹ 70,316.36 करोड़ के कुल व्यय का 69.77 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत बुकिंग:

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का केवल तभी संचालन किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 37 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,482.97 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 73,773.12 करोड़) का 4.72 प्रतिशत है, को खातों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान, 36 प्रमुख लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 4,289.52 करोड़ (₹ 1.20 करोड़ निवेश सहित), जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 70,316.36 करोड़) का 6.10 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 34 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,585.14 करोड़ (विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹ 3,307.54 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां सहित), जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 68,975.95 करोड़) का 8.10 प्रतिशत है, को 800-अन्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। पिछले वर्ष के दौरान 37 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,134.84 करोड़ (विद्युत की बिक्री एवं विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹ 2,715.77 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों सहित) जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 59,238.50 करोड़) का 6.98 प्रतिशत को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

आंकड़ों का संदर्भ वित्त लेखा के विवरण संख्या 14, 15 और 16 है।

(v) असमायोजित सार आकस्मिक (एसी) बिल:

संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीरसरकार ने सार आकस्मिक (एसी) बिलों का आहरण करने तथा उनके निपटान हेतु कोडल प्रावधानों को संशोधित नहीं किया है। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्तीय कोड खंड-I (पैरा 7.18) की परिकल्पना की गई है, जब आकस्मिक व्यय हेतु राजकोष से धन का आहरण आवश्यक समझा जाता है, जिसके वाउचरों को आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के भुगतान से पूर्व वाउचर आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता हैं, ऐसी स्थिति में एसी बिल के माध्यम से राशि आहरण हेतु अधिकृत है । तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठित-पूर्व) वित्तीय संहिता पैरा 7.10 के संदर्भ में, डीडीओ को अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम आहरित किया गया था।

(क) वर्ष 2022-23 के दौरान आहरित ₹ 3,310.85 करोड़ के 384 एसी बिलों में से, मार्च 2023 में ₹ 709.58 करोड़ (21.43*प्रतिशत*) की राशि के 145 एसी बिलों का आहरण किया गया। कुल 1,589 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2023 तक ₹ 14,191.82 करोड़ प्राप्त नहीं हुए। 31 मार्च 2023 तक डीसीसी बिलों को जमा करने के लंबित असमायोजित एसी बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2021-22 तक (31.10.2019 से 31.01.2022)	1,035	10.653.62
2022-23 (01.02.2022 से 31.01.2023)	554	3,538.20
कुल	**1,589**	**14,191.82**

(ख) 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष) के अंत में, कुल 1,139 एसी बिलों के संबंध में ₹ 11,448.03 करोड़ की राशि के डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए।

(ग) इसके अतिरिक्त,31मार्च 2022 को बकाया ₹ 5,830.41 करोड़ की राशि के 2,154 एसी बिलों में से 30 अक्टूबर 2019 तक (पुनर्गठन पूर्व) तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा, ₹ 5,583.15 करोड़ की राशि के 1,877 एसी बिलों के संबंध में 31 मार्च 2023 तक डीसीसी बिल प्रतीक्षित थे। इन बकाया एसी बिलों का विभाजन उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है।

(vi) सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए:

संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सहायता अनुदान के आहरण और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने से संबंधित संशोधित नियम नहीं बनाए हैं। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठन-पूर्व) के वित्तीय कोड खंड-I, पैरा 10.19 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), अनुदानग्राही द्वारा अनुदान प्राप्त होने की तारीख से 18 महीने के भीतर या उसी विषय पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो जारी करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय सीमा में यूसी जमा न करना पर जोखिम है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचें।

(क) वर्ष 2022-23 के दौरान, 30 सितंबर 2021 तक की अवधि के लिए 57 यूसी से संबंधित ₹ 884.27 करोड़ का समाशोधन किया गया। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (पुनर्गठन के बाद की अवधि) से संबंधित बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 (31.10.2019 से 30.09.2020)	725	2,985.54
2022-23 (01.10.2020 से 30.09.2021)	577	3,570.56 #
कुल	**1,302**	**6,556.10**

** उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 महीने पश्चात।*
 # वर्ष 2022-23के दौरान अतिरिक्त, ₹3,570.56 करोड़

(ख) पुनर्गठन के पश्चात की अवधि हेतु 31 मार्च 2022 (पूर्व वर्ष) तक ₹ 3137.11 करोड़ की राशि के बकाया यूसी की संख्या 770 थी।

(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान, पूर्व पुनर्गठन अवधि के लिए लिए तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य (पुनर्गठन पूर्व) से संबंधित बकाया यूसी से संबंधित ₹ 15.67 करोड़ के 657 बिलों का समाशोधन किया गया । 30 अक्टूबर 2019 तक आहरण किए गए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी जिसका प्रभाजन संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है, की स्थिति निम्न है।

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,726	6,181.21
2020-21	705	1,961.44
2021-22 (01.10.2019 से 30.10.2019 तक)	शून्य	शून्य
कुल	**2,431**	**8,142.65**

** उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 महीने पश्चात।*

(घ) पूर्व-पुनर्गठन अवधि हेतु 31 मार्च 2022 (पूर्व वर्ष) तक ₹ 8,158.32 करोड़ की राशि के बकाया यूसी की संख्या 3,089 थी।

इसमें वित्त लेखा के विवरण 10 और परिशिष्ट III का संदर्भ है।

(vii) ब्याज समायोजन:

(क) सरकार जे-आरक्षित निधियाँ (ए. ब्याज वहन करने वाली निधियां) तथा के-जमा व अग्रिम (ए. ब्याज वहन करने वाली जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/ समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य हेतु, विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष को मुख्य तथा लघु लेखा शीर्ष की सूची में उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान इन निधियों/ जमाओं तथा सरकार द्वारा भुगतान किया गये ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधियाँ/जमाएँ	1अप्रैल 2022 को शेष	ब्याज की गणना हेतु आधार	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	कम भुगतान किया गया ब्याज
राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि-एमएच-8121	764.57	पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार (@ 3.35 प्रतिशत प्रति वर्ष)	25.61	शून्य	25.61
राज्य प्रतिकर वनीकरण जमा-एमएच-8336	483.81		16.21	शून्य	16.21
कुल			**41.82**	**शून्य**	**41.82**

₹ 41.82 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 41.82 करोड़ तक की राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई है।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार "आई-लघु बचत तथा भविष्य निधि इत्यादि" पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) खातों पर ब्याज संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अनंतिम/ अस्थायी आधार पर ₹ 1,910.11 करोड़ के रूप में (जुलाई 2023) सूचित किया गया जोकी अपने कर्मचारियों के जीपीएफ और एसएलआई खातों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व व्यय वास्तविक और अस्थायी/अनंतिम आंकड़ों के बीच अंतर की सीमा तक भिन्न होंगी।

इसमें वित्त लेखा के विवरण 15, 21 और 22 के आंकड़ों का संदर्भ है।

(viii) सरकार द्वारा किये गये निवेश:

(क) वर्ष 2022-23के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने निवेश के रूप में ₹ 30.87करोड़ की राशि (विवरण 16) बुक की गई ।बुक की गई राशि के प्रति, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) ने लेखापरीक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर ₹ 349.47 (विवरण 19) करोड़ का निवेश दिखाया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लेखा (खंड-II) के विवरण संख्या 16 और 19 के बीच ₹ 318.60 करोड़ का अंतर है। जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास निगम और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वार्षिक वित्त लेखा में प्रतिबिंबन हेतु लेखापरीक्षा के माध्यम से, 2022-23 में ₹ 82.98 करोड़ (क्रमशः ₹ 33.98 करोड़ और ₹ 49.00 करोड़) की

राशि के निवेश का विवरण प्रस्तुत किया है। यह निवेश संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन के पश्चात) के वर्ष 2021-22 से संबंधित है और अधिष्ठान द्वारा पहले सूचित नहीं किया गया था।चूंकि यह निवेश पिछले वर्ष (2021-22) से संबंधित है, इसे विवरण 19 में 31 मार्च 2023 तक संचयी शेष में दर्शाया गया है।

(ख) 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) के अंत में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा 52 अधिष्ठानों में किया गया कुल निवेश (संशोधित आंकड़े) निवेशी अधिष्ठानों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रदान की गई सूचना/आंकड़ों के आधार पर ₹ 4,620.16 करोड़ था तथा इन आकड़ों का सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया। इन निवेशों का प्रभाजन संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख (जुलाई 2023) के मध्य किया जाना शेष है। लेखों में दर्शाए गए निवेश को उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य प्रभाजन से पूर्व सरकार के साथ अधिष्ठानों द्वारा मिलान अपेक्षित है।

(ix) सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ:

संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई विशिष्ट प्रत्याभूति अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया है जो प्रत्याभूति की सीमा निर्धारित करेगा जिसे संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिया जा सकता है और उस पर कमीशन/ शुल्क प्रभारित किया जा सकता है। वर्ष 2022-23 के अंत तक संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा पुनर्संगठन पश्चात प्रत्याभूतिकृत संचयी राशि ₹ 24,867.44 करोड़ (संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ समाधान के अन्तर्गत) है।

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा दी गई ₹ 452.65 करोड़ की प्रत्याभूति भी बकाया है, जो अभी उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं हुई है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखा के विवरण 9, 14 और 20 में उपलब्ध हैं।

(x) पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर व्यय:

संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को वित्त लेखों में विभिन्न प्रकार्यात्मक लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक दर्शाया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रमुख शीर्ष 3435- "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के तहत ₹ 78.76 करोड़ के बजट आवंटन (बीई) के प्रति ₹ 48.48 करोड़ व्यय किए। पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रमुख शीर्ष 3435- "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत ₹ 64.67 करोड़ के बजट आवंटन (बीई) के प्रति ₹ 45.16 करोड़ खर्च किए।

इसमें वित्त लेखा के विवरण 15 और 16 का संदर्भ है।

(xi) संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण:

पुनर्गठन पूर्व अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 21.57 करोड़ की राशि के पुराने ऋणों [जिनका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षण किया जाता हैं] को अभी भी संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

पूर्व पुनर्गठन अवधि के लिए तत्तकालीन जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा वैधानिक निकायों/ अन्य अधिष्ठानों को दिए गए ₹ 1,718.87 करोड़ के बकाया ऋण भी थे, जिन्हें संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है। परिणामस्वरूप, इस लेखा पर संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्य राशि का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रतिवर्ष सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को ऋण शेषों के बारे में सूचित करता है। किसी भी विभाग/ ऋणदाता ने शेष राशि की पुष्टि नहीं की है (जुलाई 2023)।

शेष राशि के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का ब्यौरा वित्त लेखा के *परिशिष्ट-VII* में प्रदान किया गया है।

इसमें वित्त लेखा के विवरण 7 और 18 का संदर्भ है ।

(xii) प्रतिबद्ध देयताएँ:

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रोद्भवन आधारित लेखांकन की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। तथापि, चूंकि पारगमन चरणों में होगा, लेखांकन की प्रोद्भवन-आधारित प्रणाली में परिवर्तन के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ा जाना अपेक्षित है।संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रतिबद्ध देयताओं के संबंध में जानकारी देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तथापि, मार्च 2023 में संसद के समक्ष रखे गए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा परिलक्षित 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिबद्ध देयताएँ वित्त लेखों के *परिशिष्ट- XII* में परिलक्षित हैं।

(xiii) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/ अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का पुनर्गठन:

योजना/ गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सहायता मोचन को अब केंद्रीय सहायता/ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2023 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बुक/ दर्ज किया गया कुल व्यय ₹ 5,350.88 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 1,997.43 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 3,353.45 करोड़) है, जिसमें संघ राज्य-क्षेत्र के अंश को छोड़कर केंद्रीय सहायता से व्यय सम्मिलित है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य-क्षेत्र का अंश, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा समूह शीर्ष-0099- राजस्व अनुभाग में "सामान्य" तथा पूंजीगत अनुभाग में 0011- "सामान्य" के अन्तर्गत सामान्य व्यय से पूरा किया जाता है।

इसमें वित्त लेखा के विवरण 15 और 16 का संदर्भ है।

(xiv) संघ राज्य-क्षेत्र में कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ राज्य-क्षेत्र के बजट से बाहर की गई निधि):

महालेखानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, 2022-23 के दौरान संघ राज्य-क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 4,237.34 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें मध्यस्थों/ लाभार्थियों को हस्तांतरण सम्मिलित है।

2021-22 (2021-22 में ₹ 3,992.76 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,237.34 करोड़) की तुलना में 2022-23 में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 6.13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सरकारी विभागों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण का विवरण वित्त लेखा के *परिशिष्ट-VI* में दिया गया है।

(xv) संघ राज्य-क्षेत्र सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ:

वर्ष 2022-23 में, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अपने बजट दस्तावेजों/ वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया गया है।

ऑफ-बजट उधार सरकार की देयताएं हैं, क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र की अधिष्ठानों को सहायता अथवा अनुदान के रूप में दिया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया है कि पुनर्गठन के पश्चात 31 मार्च 2022 तक ₹ 12,444.60 करोड़ {₹ 2,122.77 करोड़ जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त कॉरपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) और ₹ 10,321.83 करोड़ जम्मू एवं कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल)} ऑफ-बजट उधारी बकाया रही। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 11,541.80 करोड़ की राशि जुटाई गयी (₹ 250.00 जेकेआईडीएफसी और ₹ 11,291.80 करोड़ जेकेपीसीएल) 74.87 करोड़ मूलधन और ₹ 1,423.79 करोड़ ब्याज चुकाया जा चुका है। वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया राशि ₹ 23,911.53 करोड़ रही। (₹ 2,297.90 जेकेआईडीएफसी और ₹ 21,613.63 करोड़ जेकेपीसीएल)।

(xvi) एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) को निधियों का हस्तांतरण:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 के पत्र संख्या 1 (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधि जारी करने और एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए को

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया गया है, जो संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है। प्रक्रिया के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अपने लेखा में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित एसएनए के लेखा में संघ राज्य क्षेत्र के अंश को स्थानांतरित करना है।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को अपने राजकोष लेखा में वर्ष के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 6,131.40 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार ₹ 5,955.50 करोड़ की राशि के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अवसंरचना के रखरखाव के लिए ₹ 132.33 करोड़ और पीएमएवाई के लिए हस्तांतरित ₹ 43.57 करोड़ सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने राजकोष लेखा में प्राप्त केंद्रीय अंश ₹ 3,514.36 करोड़ और संघ राज्य क्षेत्र के ₹ 549.62 करोड़ को एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। एसएनए द्वारा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खाते में ₹ 3,603.59 करोड़ अव्ययित हैं।

4. **आकस्मिकता निधि:**

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि से संबंधित या अभिरक्षा में सहायक, धनराशियों के भुगतान और धन के आहरण से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने हेतु संघ राज्य-क्षेत्र सरकार ने 'जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि नियम, 2020' (दिनांक 27 अगस्त 2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ- 271) का निर्माण किया। 31 मार्च 2023 के अंत तक संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़ का कोषधन है जो वर्ष 2020-21 के दौरान संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से हस्तांतरित किया गया है। 31 मार्च 2022 के अंत तक निधि के अन्तर्गत शेष राशि ₹ 25.00 करोड़ थी। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ एक करोड़ की शेष राशि थी जिसे अभी भी दो उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखा के विवरण 1, 2 और 21 में उपलब्ध हैं।

5. लोक लेखा:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):

वर्ष 2022-23 के दौरान, एनपीएस जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल अंशदान ₹ 1,773.57 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 771.56 करोड़ और सरकार का योगदान ₹ 1,002.01 करोड़) था । सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखा के *विवरण संख्या 15* में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 1,773.57 करोड़ की पूरी राशि लोक लेखा में हस्तांतरित कर दी है।

(ii)(अ) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ:

(क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ):

राज्य आपदा आपदा निधि (मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो ब्याज धारिता अनुभाग के अन्तर्गत है) के गठन और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों से 90:10 अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो नए संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठन करने पर, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को जारी रखा। वर्ष 2022-23 के दौरान, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'संघ राज्य-क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान के लिए अनुदान' के रूप में ₹ 279.00 करोड़ की प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान संघ राज्य-क्षेत्र सरकार का अंश ₹ 31.00 करोड़ था। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के अन्तर्गत निधि में ₹ 381.83 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 279.00 करोड़, संघ राज्य-क्षेत्र अंश ₹ 31.00 करोड़ और ब्याज ₹ 71.83 करोड़) हस्तांतरित किए। दिशानिर्देशानुसार निधि में ब्याज का योगदान करना आवश्यक जिसकी गणना नहीं की जा सकी क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पूर्व-पुनर्गठन) तक निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि ₹ 1,271.48 करोड़ को संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

(ख) राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों से प्रतिकर वनरोपण उपक्रम हेतु प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याज धारिता अनुभाग के अन्तर्गत राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि की स्थापना अपेक्षित है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नवीन संघ राज्यक्षेत्रों में पुनर्गठन पर, उत्तराधिकारी संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि को जारी रखा। वर्ष 2022-23 के दौरान संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने प्रयोक्ता अभिकरणों से ₹ 14.12 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 8.55 करोड़) प्राप्त किए। वर्ष 2022-23 के दौरान या वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय निधि में कोई राशि प्रेषित नहीं की गई। संघ राज्य-क्षेत्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिकर वनरोपण जमा से शून्य राशि (पिछले वर्ष भी शून्य राशी) प्राप्त की। 31 मार्च 2023 को राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 764.57 करोड़ था। 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8336- "नागरिक (सविल) जमा" के अंतर्गत ₹ 497.93 करोड़ का शेष भी बचा हुआ है।

(ब) ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ:

(क) समेकित ऋण शोधन निधियाँ: तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पृथक रूप से कोई समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया गया। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में ऋणों के परिशोधन हेतु समेकित ऋण शोधन निधि को स्थापित किया। निधि के दिशा-निर्देशों के

अनुसार,सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ करके 2021-22 तक प्रत्येक वर्ष 2010-11 के अंत में बकाया देयताओं के 0.5 *प्रतिशत* के न्यूनतम 10 प्रतिशत का योगदान कर सकती है ताकि इसे 2010-11 की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के बराबर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिशील देनदारियों के संबंध में अंशदान ऐसी वृद्धिशील देनदारियों के 0.5 *प्रतिशत* पर किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाने वाले स्तर तक पहुंचा जा सकें। संघ राज्य-क्षेत्र सरकार ने वर्तमान निधि को जारी रखा तथा वर्ष 2022-23 में संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹ 58.91 करोड़ का अंशदान दिया। निधि में अंशदान हेतु अपेक्षित राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 355.87 करोड़ की शेष राशि को अभी भी संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है। निधि का कुल संचय (पुनर्गठन पश्चात की अवधि हेतु 31 मार्च 2023 को ₹ 159.54 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹ 100.63 करोड़) था।

(ख) प्रत्याभूति मोचन निधि: प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशानिर्देशानुसार वर्ष के आरंभ में बकाया प्रतिभूति का न्यूनतम 1 प्रतिशत का योगदान तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत के योगदान को दर्शाते हैं। जिससे पिछली वर्ष की बकाया प्रतिभूति का न्यूनतम 3 से 5 प्रतिशत कोष को प्राप्त किया जा सके। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2023 तक प्रत्याभूति मोचन निधि अधिनियम नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की प्रत्याभूति मोचन निधि योजना कोष में योगदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था। वर्ष के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने निधि में मात्र ₹ 1.00 करोड़ का योगदान दिया। पुनर्गठन के बाद की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 को निधि का कुल संचय ₹ 5.00 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹ 4.00 करोड़) था। 30 अक्टूबर 2019 (पूर्व-पुनर्गठन) तक निधि में ₹ 20.42 करोड़ का शेष भी था, जिसे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

(ग) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)

भारत सरकार की दिनांक 31 मार्च, 2018 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम बदलकर केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना आदि के विकास एवं रखरखाव पर किया जाएगा।

विद्यमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त अनुदानों को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष-1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में बुक/ दर्ज किया जाना होता है। तत्पश्चात्, इस प्रकार प्राप्त राशि को संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि, मुख्य शीर्ष 8449-103-केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के द्वारा लोक लेखा में अंतरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जम्मू और कश्मीर सरकार को सीआरआईएफ के लिए ₹ 343.61 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ और वर्ष के दौरान, पूरी राशि प्रमुख शीर्ष 8449-103 को अंतरित कर दी गई।

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष:

वित्त लेखा उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिम्बित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष, तीन प्रमुख शीर्षों (8658, 8782 और 8793) के अंतर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को एकत्रित करके प्राप्त किया जाता है, जो 31 मार्च 2023 को ₹ 149.44 करोड़ (निवल डेबिट) था, पुनर्गठन पश्चात की अवधि हेतु [31 मार्च 2022 तक ₹ 448.94 करोड़ (निवल डेबिट)]।

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2019 (पूर्व पुनर्गठन) के अंत में ₹ 2,114.33 करोड़ [उचंत के अंतर्गत ₹ 733.16 करोड़ (डेबिट) और प्रेषण के अंतर्गत ₹ 2,847.49 करोड़ (क्रेडिट)] का निवल क्रेडिट शेष भी था, जिसे अभी भी उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के बीच प्रभाजित किया जाना शेष है।

इन शीर्षों के अतर्गत बकाया शेष राशि का भुगतान न होने से संघ राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें साल-दर-साल अग्रेषित किया जाता है) के अन्तर्गत प्राप्तियों/ व्यय के आँकड़ों की परिशुद्धता को प्रभावित करते है।

(iv) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार:

वर्ष 2022-2023 के दौरान, संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029-"भू-राजस्व" (श्रम उपकार के अलावा) के नीचे लघु शीर्ष 103-"भूमि पर दर तथा उपकर" के अन्तर्गत ₹ 41.79 करोड़ (वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 21.45 करोड़) की राशि को बुक/ दर्ज किया गया। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एकत्रित किए गए उपकरों के हस्तांतरण हेतु संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किसी निधि को स्थापित नहीं किया गया है।

(v) रोकड़ शेष:

प्रधान महालेखाकार के अभिलेखों तथा आरबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार [जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा आकलन किया गया] 31 मार्च 2023 को रोकड़ शेष क्रमश: ₹ 1,448.31 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 1,445.66 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा आरबीआई/ एजेंसी बैंक के साथ मुख्यत: गैर-समाधान के कारण ₹ 2.65 करोड़ (डेबिट) का निवल अन्तर था। यह अन्तर मिलान के अधीन है।

प्रधान महालेखाकार के अभिलेखों तथा आरबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार [जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा आकलन किया गया], 31 मार्च 2022 को रोकड़ शेष क्रमश: ₹ 1,447.65 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 1,445.73 करोड़ (क्रेडिट) था। मुख्यत: गैर-मिलान के कारण ₹ 1.92 करोड़ (डेबिट) का निवल अन्तर था।

30 अक्टूबर 2019 तक आरबीआई तथा प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य भी ₹ 83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अन्तर था जिसे अभी भी संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य मिलान तथा प्रभाजित किया जाना है।

(vi) राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 तथा 85) तथा 30 अक्टूबर 2020 के संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में दिनांक 14 जनवरी 2021 का सरकारी आदेश संख्या 2021 का 14-एफ इस प्रकार का उपबंध करती है जिसके अनुसार 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य शेषों को प्रभाजित किया जाए।

यद्यपि,14 जनवरी 2021 को संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया गया, 30 अक्टूबर 2019 तक सभी शेषों को अधिग्रणकर्ता संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है जिसके परिणामस्वरूप कुछ लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष है। अप्रभाजित मदों का ब्यौरा वित्त लेखा के खण्ड-II के *परिशिष्ट-XIII* में दिया गया है। 30.10.2019 (पूनर्गठन पूर्व) तक बकाया शेष पर ब्याज सहित देयदाओं की ऋण सेवा, जिसको अभी प्रभाजित किया जाना शेष है को वर्तमान में संघ राज्य-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है।

6. राजस्व व्यय पर प्रभाव:

संघ राज्य-क्षेत्र के वित्तों पर सांविधिक प्रावधानों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण/ गैर-अनुपालन के कारण राजस्व व्यय पर प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराओं में सूचित किया गया है, नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	मद (व्याख्यात्मक)	राजस्व व्यय की अध्युक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति
3(ii)	राजस्व तथा पूंजीगत के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	-	219.13
3(vii)(क)	राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि एमएच-8121 पर ब्याज की गैर-अदायगी	-	25.61
3(vii)(क)	राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि एमएच-8336 पर ब्याज की गैर-अदायगी	-	16.21
	कुल (निवल) प्रभाव न्यूनोक्ति	**-**	**260.95**

नोट: 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ और राज्य जीवन बीमा पर ब्याज को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अनंतिम/अस्थायी आधार पर ₹1,910.11 करोड़ बताया गया था, जिसके कारण अध्युक्ति/न्यूनोक्ति पर प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी। विवरण के लिए पैरा 3(vii) देखें।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/hi